छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
(2005-2006)

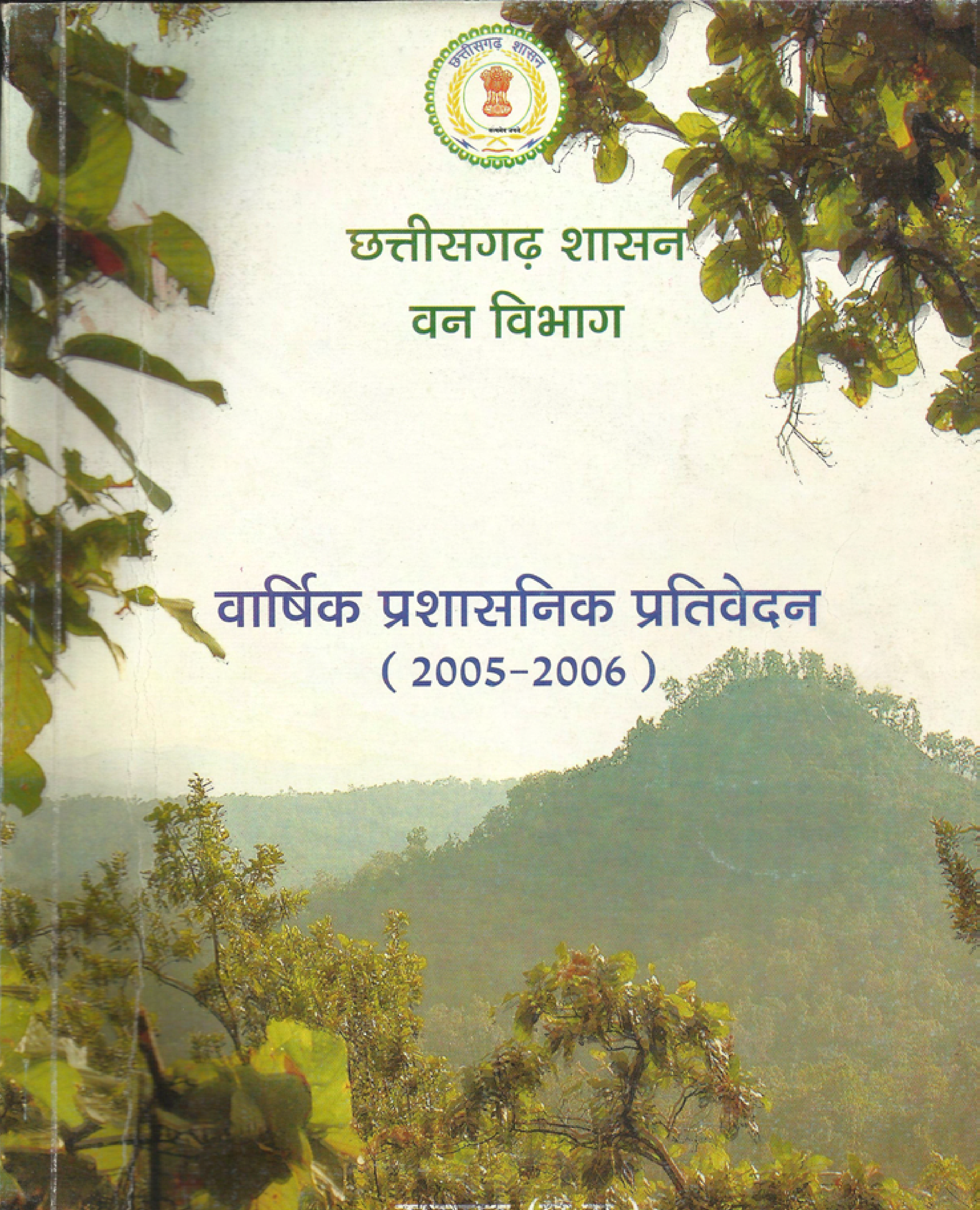

रायपुर (छ.ग.)

वन्यप्राणी जल पीते हुये

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
(2005–2006)
रायपुर

वन विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ - एक नजर में

1. पौधा प्रदाय, हरियाली प्रसार तथा नदी तट वृक्षारोपण नामक तीन नवीन योजनाओं का शुभारम्भ

2. प्रदेश के लगभग 12.63 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को निशुल्क चरण पादूका का वितरण

3. औषधि पौधों के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य में वनौषधि बोर्ड का गठन

4. तेंदूपत्ता व्यापार की नीति में परिवर्तन, गोदामीकृत तेंदूपत्ता के स्थान पर हरे पत्ते का अग्रिम विक्रय

संग्रहण वर्ष	प्राप्त दर (रू.) (प्रति मानक बोरा)	वितरित मजदूरी रूपये (करोड़ में)
2004	853	84.92
2005	887	67.17
2006	942	82.99 (अनुमानित)

5. संग्रहण वर्ष 2003 की तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि रूपये 33.06 करोड़ का, तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरण

6. वर्ष 2005 में 9.24 लाख क्विंटल साल– बीज का संग्रहण, संग्राहकों की राशि रूपये 32.35 लाख वितरित, मजदूरी के अतिरिक्त वर्ष 2004 तथा वर्ष 2005 में कमशः 100/– प्रति क्विंटल तथा 150/– प्रति क्विंटल बोनस वितरण का निर्णय

7. वन्यजीवों के संरक्षण एवं विकास तथा चिड़ियाघरो का विकास एवं उन्नयन हेतु प्रथम बार राज्य में बजट में प्रावधान

8. वन विभाग द्वारा बायो डीजल के उत्पादन हेतु वर्ष 2005–06 में कुल 322.19 लाख जेट्रोफा पौधे का रोपण / वितरण किया गया।

9. वर्ष 2004 एवं वर्ष 2005 में क्रमशः 41798 हेक्टेयर एवं 41682 हेक्टेयर क्षेत्र में बिगड़े वनों का सुधार कार्य कराया गया।

10. अचानकमार, उदन्ती तथा सीतानदी अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट टायगर के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने का निर्णय, अधिसूचना जारी होना शेष।

11. भारत सरकार के वनग्रामों के विकास हेतु राशि रू. 56.05 करोड़ की 03 वर्षीय एकीकृत वनग्राम विकास योजना स्वीकृत

12. 13 वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का रायपुर में सफलतापूर्वक आयोजन, प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों एवं संस्थानों की कुल 32 टीमों के 1635 खिलाड़ी सम्मिलित

13. अचानकमार, अमरकंटक आयोस्फीयर रिजर्व के गठन की अधिसूचना भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 30 मार्च 05 को जारी

14. राज्य शासन का 30/06/2004 तक विभगा में पंजीकृत 257226 प्रकरणों में मुआवजे तथा महसूल की राशि रूपये 12.91 करोड़ का अपलेखन एवं इन अपराध प्रकरणों को समाप्त किए जाने का अद्वितिय निर्णय

15. विगत दो वर्षो में 1307 ग्राम वन तथा वन सुरक्षा समितियों का गठन

16. विगत दो वर्षो में वन विकास अभिकरण को 12परियोजनाओं के लिए राशि रू. 2136.87 लाख स्वीकृत

17. विगत दो वर्षो में 260 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को उनके हिस्से के 15 प्रतिशत वनोत्पाद के कुल मूल्य राशि रू. 820 लाख का भुगतान

18. वित्तीय वर्ष 2004–05 में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य राशि रू. 139 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 154.62 करोड़ का राजस्व प्राप्त। वित्तीय वर्ष 2005–06 में निर्धारित लक्ष्य राशि रू. 175 करोड़ के विरूद्ध वर्तमान तक जारी रू. 157.33 करोड़ का राजस्व प्राप्त

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	मंत्रालय / विभागाध्यक्ष कार्यालय की जानकारी	1
	भाग – एक	
2	विभागीय संरचना / अधीनस्थ कार्यालय	2
3	विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल / उपक्रम / संस्थाओं का विवरण	7
4	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ	7
5	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	11
6	छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड	20
7	विभाग के दायित्व	23
8	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी / सामान्य या प्रमुख विशेषताएं / महत्वपूर्ण सांख्यिकी	24
9	सामान्य परिदृश्य	24
10	छत्तीसगढ़ में वनों की प्रासंगिकता	24
11	छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति – 2001	25
12	मानव संसाधन विकास	26
13	विकास योजनाएँ	27
14	संयुक्त वन प्रबंधन	32
15	वन संरक्षण	38
16	भू–सर्वे एवं वन संरक्षण अधिनियम	40
17	कार्य आयोजना	42
18	परियोजना निर्माण एवं अनुसंधान विस्तार	44
19	वन्यप्राणी संरक्षण	46
20	उत्पादन	50
	भाग – दो	
21	बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)	53
22	बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)	54

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
	भाग – तीन	
23	राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	59
	भाग – चार	
24	सामान्य प्रशासनिक विषय	60
	भाग – पाँच	
25	अभिनव योजना	61
	भाग – छः	
26	विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन	63
	भाग –सात	
27	सारांश	63-71

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग का नाम	वन विभाग
मंत्री	श्री बृजमोहन अग्रवाल

सचिवालय

प्रमुख सचिव	श्री सरजियस मिंज
सचिव	श्री के. सुब्रमणियम
विशेष सचिव	श्री एल.एन. सूर्यवंशी
उप सचिव	श्री प्रेम कुमार
अवर सचिव	श्री के. आर. बर्मन

विभागाध्यक्ष / प्रबंध संचालक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक	श्री आर.एन. मिश्रा
प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	श्री आर.के. शर्मा
प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ	श्री ए.के. सिंह

भाग – 1

1.1 विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय

1.1.1. वन विभाग के समस्त प्रशासकीय एवं तकनीकी कार्यो का संचालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से होता है। मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार है :—

1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	विभागाध्यक्ष	श्री आर.एन.मिश्रा
2.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	1. विकास/योजना	श्री धीरेन्द्र शर्मा
		2. प्रशा. राज./सम.	श्री एन.के.भगत
		3. वन्यप्राणी	श्री राम प्रकाश
3.	मुख्य वन संरक्षक	1. उत्पादन	डॉ. अनूप भल्ला
		2. प्रशा. अराज	श्री आर.सी.रैगर
		3. वित्त/बजट	डॉ. जे.के.उपाध्याय
		4. संरक्षण	श्री एन.सी.पंत
		5. कार्य आयोजना	श्री दिवाकर मिश्रा
		6. भू–सर्वे	श्री बी.के.सिन्हा
		7. संयुक्त वन प्रबंधन	श्री आर.के.टाम्टा
		8. परि. निर्माण एवं अनु. विस्तार	श्री प्रताप सिंह
		9. सतर्कता/शिकायत	श्री ए.के.द्विवेदी
4.	वन संरक्षक	1. भू–सर्वे	श्री एस.सी.अग्रवाल
		2. वन्यप्राणी	श्री एच.सी.तिवारी
		3. प्रशा. अराज.	डॉ. बी.पी.नोन्हारे
		4. विकास/योजना	डॉ. जितेन कुमार
		5. उत्पादन	श्रीमती शोभा सुब्रमणियम्
		6. समन्वय	श्री जयसिंह म्हस्के
		7. संरक्षण	श्री ए.के.भट्ट
		8. संयुक्त वन प्रबंधन	श्री यूनुस अली
		9. सतर्कता/शिकायत	श्री एम.टी. नंदी
5.	उप वन संरक्षक	1. परि. निर्माण/अनु. विस्तार	श्री एस.सी.रहटगांवकर
		2. विशेष कार्य	श्री ए.एच.कपासी
		3. विकास	श्रीमती प्रणीता पॉल
		4. भू–सर्वे	श्रीमती सोमा दास

1.1.2. <u>वर्तमान में वन विभाग में कार्यरत विभिन्न स्तर के अधिकारियों का विवरण</u>

क्र.	पद प्रवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	भा.व.से. अधिकारी	115	104	11
2	रा.व.से. अधिकारी (रा.ल.व.संघ के स्वीकृत 39 पद सम्मिलित करते हुए)	142+39=181	128+14	14+25
3	लेखा अधिकारी	3	1	2
4	प्रशासकीय अधिकारी	1	–	1
5	स्टाफ आफिसर	1	1	–
6	संचालक बजट (प्रतिनियुक्ति पर)	1	1	–
7	लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	3	–	3
8	सहायक संचालक जन संपर्क अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	1	–	1
9	आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	1	–	1
10	सांख्यिकी सहायक (प्रतिनियुक्ति पर)	2	–	2
	योग	***309***	***249***	***60***

1.1.3 क्षेत्रीय प्रशासनिक ईकाईयॉ निम्नानुसार है :–

<u>इकाई का नाम</u>	*<u>इकाई की संख्या</u>*
क्षेत्रीय वन वृत्त	6
टाईगर प्रोजेक्ट	1
कार्य आयोजना वृत्त	1
क्षेत्रीय वनमंडल	32
कार्य आयोजना वनमंडल	6
अनुसंधान विस्तार वनमंडल	03
सूचना प्रौद्योगिकी मंडल	01
राष्ट्रीय उद्यान	03
वन्य प्राणी अभ्यारण्य	11
वनपाल विद्यालय	01
वनरक्षक विद्यालय	02
उप वनमंडल	74
परिक्षेत्र	279
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	876
बीट	3810

प्रशासनिक संरचना

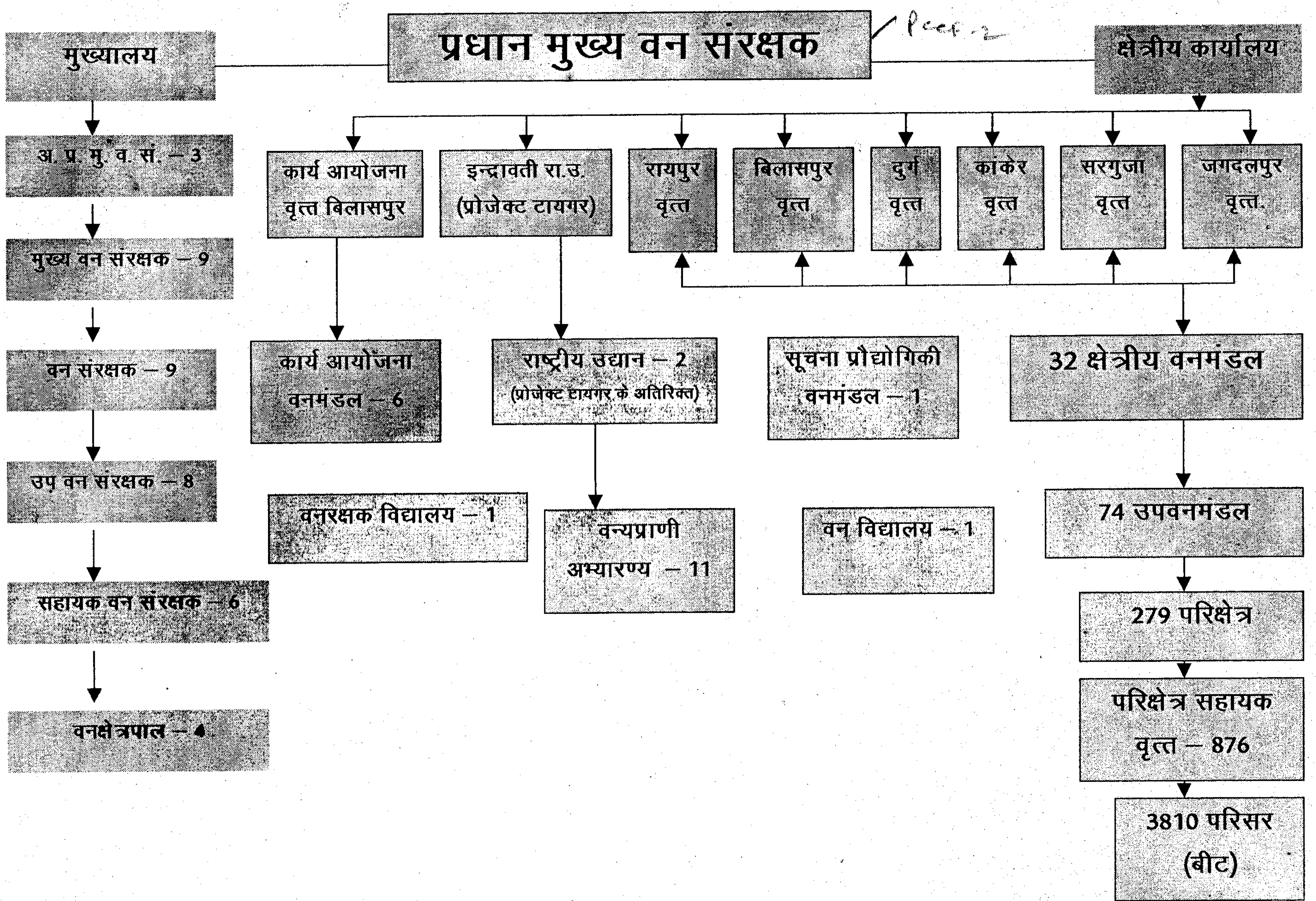
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मुख्यालय
अ. प्र. मु. व. सं. – 3
मुख्य वन संरक्षक – 9
वन संरक्षक – 9
उप वन संरक्षक – 8
सहायक वन संरक्षक – 6
वनक्षेत्रपाल – 4
क्षेत्रीय कार्यालय
कार्य आयोजना वृत्त बिलासपुर
इन्द्रावती रा.उ. (प्रोजेक्ट टायगर)
रायपुर वृत्त
बिलासपुर वृत्त
दुर्ग वृत्त
कांकेर वृत्त
सरगुजा वृत्त
जगदलपुर वृत्त
कार्य आयोजना वनमंडल – 6
राष्ट्रीय उद्यान – 2 (प्रोजेक्ट टायगर के अतिरिक्त)
सूचना प्रौद्योगिकी वनमंडल – 1
32 क्षेत्रीय वनमंडल
वनरक्षक विद्यालय – 1
वन्यप्राणी अभ्यारण्य – 11
वन विद्यालय – 1
74 उपवनमंडल
279 परिक्षेत्र
परिक्षेत्र सहायक वृत्त – 876
3810 परिसर (बीट)

1.1.4. वर्तमान में कार्यरत विभिन्न स्तर के कार्यपालिक/लिपिकीय अमले का विवरण निम्नानुसार है :

अनु. क्र.	पदनाम	मुख्यालय में स्वीकृत पद	मुख्यालय में कार्यरत पद	मुख्यालय में रिक्त पद	शासनादेश दि. 20.03.03 द्वारा स्वीकृत फील्ड सेटअप	क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत	क्षेत्रीय स्तर पर रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	1	1	0	-	-	-
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	3	3	0	-	-	-
3	मुख्य वन संरक्षक	9	9	0	-	-	-
4	वन संरक्षक	9	9	0	8	8	0
5	उप वन संरक्षक	8	3	5	46	39	7
6	सहायक वन संरक्षक	6	6	0	136	119	17
7	वनक्षेत्रपाल	4	2	2	326	318	8
8	उप वन वनक्षेत्रपाल	0	0	0	525	493	32
9	वनपाल/ सर्वेयर/ सहायक वन विस्तार अधिकारी	0	0	0	1343	1208	135
10	वनरक्षक/वनसेवक/गोदाम/ कीपर/ चैनमैन/ गेमगार्ड /मैकेनिक/ बेरियर गार्ड	0	0	0	5429	4540	889
11	कार्यालय अधीक्षक	5	5	0	7	4	3
12	मुख्य लिपिक / लेखा अधीक्षक	34	22	12	58	52	6
13	लेखापाल / सहायक ग्रेड– II	48	42	6	504	481	23
14	सहायक ग्रेड– III	52	34	18	681	528	153
15	स्टनोग्राफर I	3	2	1	0	4	(+) 4
16	स्टनोग्राफर II	15	10	5	14	16	(+) 2
17	स्टनोग्राफर III	15	2	13	45	14	31
18	मानचित्रकार	7	2	5	89	44	45
19	भृत्य / चौकीदार/ अर्दली/ फर्राश/ माली / खानसामा	25	15	10	430	363	67
20	चौकीदार (जिलाध्यक्ष दर पर)	0	0	0	389	140	249
21	स्वीपर (जिलाध्यक्ष दर पर)	5	0	5	54	42	12
22	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा पर)	2	0	2	7	0	7
23	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा पर)	10	0	10	93	7	86
24	हल्के वाहन चालक	25	6	19	135	104	31
25	भारी वाहन चालक	0	0	0	132	102	30

अनु. क्र.	पदनाम	मुख्यालय में स्वीकृत पद	मुख्यालय मे कार्यरत पद	मुख्यालय में रिक्त पद	शासनादेश दि. 20.03.03 द्वारा स्वीकृत फील्ड सेटअप	क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत	क्षेत्रीय स्तर पर रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8
26	कोटवार	0	0	0	85	162	(+) 77
27	ट्रक एवं ट्रेक्टर क्लीनर	0	0	0	35	16	19
28	ट्रक एवं ट्रेक्टर क्लीनर (जिलाध्यक्ष दर पर)	0	0	0	123	34	89
29	स्टेनो टायपिस्ट	0	0	0	0	7	(+) 7
30	दफ्तरी/ सुपरवाईजर/ जमादार	8	7	1	0	17	(+) 17
31	खलासी	0	0	0	0	7	(+) 7
32	माली	0	0	0	0	10	(+) 10
33	डाक रनर	0	0	0	0	3	(+) 3
34	सहायक उप निरीक्षक (प्रतिनियुक्ति पर)	-	-	-	7	0	7
35	पुलिस कास्टेबल (प्रतिनियुक्ति पर)	-	-	-	28	0	28
	Total	**294**	**180**	**114**	**10729**	**8882**	**1847**

	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी	रिक्त पद
मुख्यालय	**294**	180	114
क्षेत्रीय	10729	8882	1847
योग	***11023***	***9062***	***1961***

क्षेत्रीय स्तर पर वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु मूल स्तर पर प्रशासनिक इकाई –बीट इसके उपर क्रमशः परिक्षेत्र सहायक वृत्त (रेंज असिस्टेन्ट सर्किल) परिक्षेत्र (रेंज) उप वन मंडल (सब –डिवीजन) वनमंडल (डिवीजन) तथा वन संरक्षक वृत्त (सर्किल) है ।

उपरोक्त क्षेत्रीय इकाईयों के अलावा विशिष्ट कार्यो जैसे – वन्यप्राणी प्रबंधन, सामाजिक वानिकी एवं अनुसंधान / विस्तार, कार्य आयोजना एवं प्रशिक्षण हेतु पृथक संरचना है।

1.2 *विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल / उपक्रम / संस्थाओं का विवरण*

1.2.1 छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

प्रशासनिक संरचना

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ

↓

प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ – 01

↓

वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक वनोपज सहकारी यूनियन – 06

↓

प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन – 32

↓

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियाँ – 913

प्रदेश में आदिवासी एवं गरीब लोगों के जीविकापार्जन के लिए लघु वनोपज संग्रहण एक महत्वपूर्ण माध्यम है । इस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 30/10/2000 को किया गया है । वनोपज संघ द्वारा मुख्य रूप से विनिर्दिष्ट वनोपज जैसे - तेंदूपत्ता, सालबीज, हर्रा, गोंद (कुल्लू, खैर, बबूल एवं धावड़ा) का संग्रहण एवं विपणन का कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है ।

वर्ष 2004 में तैयार की गई नवीन तेन्दूपत्ता नीति के अंतर्गत समितियों द्वारा संग्रहित किये गये हरे तेन्दूपत्ते को अग्रिम में नियुक्त क्रेता को फड़ पर ही प्रदाय किया जाता है । इसके उपरांत तेन्दूपत्ते का उपचारण, परिवहन एवं भंडारण उक्त क्रेता द्वारा ही किया जाता है । प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के द्वारा तेन्दूपत्ते का संग्रहण एवं संग्राहकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है । प्रदेश में तेन्दूपत्ते की गुणवत्ता में सुधार एवं उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से शाखकर्तन का कार्य अग्रिम में नियुक्त क्रेताओं द्वारा ही किया जाता है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2005 में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में तेन्दूपत्ता संग्रहित नही किया गया । इस प्रकार प्रदेश में 897 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ते का संग्रहण छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा कराया गया । तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 450/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई । सम्पूर्ण प्रदेश में बीड़ी बनाने योग्य अच्छी गुणवत्ता का 14.92 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ते का संग्रहण किया गया । अग्रिम में नियुक्त केताओं को संग्रहण केन्द्रों पर ही संग्रहित 11.21 लाख मानक बोरा का परिदान दिया गया । अग्रिम विक्रय में 11.21 लाख मानक बोरा रू. 99.38 करोड़ में निवर्तित किया गया एवं औसत दर रू. 887/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । शेष लाट, जिनका अग्रिम विक्रय नही हो सका, में संग्रहित 3.71 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का उपचारण समितियों के माध्यम से कराया जाकर भंडारण कराया गया । अग्रिम में अविक्रित लाटों में संग्रहित 3.71 लाख मानक बोरा में से 3.10 लाख मानक बोरा का निर्वर्तन रू. 32.70 करोड़ में हुआ तथा औसत विक्रय मूल्य रू. 1054/- प्रति मानक बोरा रहा । दिनांक 31.01.2006 की स्थिति में 0.61 लाख मानक बोरा विक्रय से शेष है ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2006 में लगभग 18.44 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । 31.01.2006 तक एक निविदा में अग्रिम नियुक्त केताओं को 11.91 लाख मानक बोरा रू. 111.53 करोड़ में विक्रय किया गया है एवं औसत दर रू. 936/- प्रति मानक बोरा है । दिनांक 31.01.2006 की स्थिति में 6.53 लाख मानक बोरा अग्रिम विक्रय से शेष है । इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में कुल रू. 82.99 करोड़ की संग्रहण मजदूरी के वितरण का अनुमान है ।

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 70 प्रतिशत राशि संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित की जाती है । संग्रहण वर्ष 2002 के तेंदूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ में से रू. 39.58 करोड़ एवं संग्रहण वर्ष 2003 के तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ में से रू. 33.06 करोड़ के प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया जा चुका है ।

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । वर्ष 1999, 2000, 2001 एवं 2002 के तेन्दूपत्ता व्यापार के लाभ से रू. 26.86 करोड़ की राशि मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए उपलब्ध हुई, जिसमें से 31.01.2006 तक रूपये 23.67 करोड़ के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रस्ताव अनुसार स्वीकृत किये गए तथा रूपये 21.77 करोड़ के कार्य किए जा चुके हैं ।

वर्ष 2005 में 9.24 लाख क्विंटल सालबीज का संग्रहण हुआ तथा रूपये 32.35 लाख, संग्राहकों में वितरित किये गये ।इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन की ओर से रू. 1.50 प्रति किलो ग्राम की दर से बोनस भी संग्राहकों को दिया जावेगा ।

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समस्त अर्थात 12.63 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को इच्छानुसार एक जोड़ी जूता महिला या पुरूष सदस्य को मार्च 2006 तक प्रदाय कर दिया जावेगा । अच्छी गुणवत्ता का जूता लिबर्टी कम्पनी, लखानी कम्पनी तथा निखिल फुटवियर से रू. 88/- प्रति जोड़ी की दर से कय किया जा रहा है ।

वनोपज संघ द्वारा अपने तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिये निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना लागू की गई है । इस योजना हेतु संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रीमियम के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को रूपये 3.28 करोड़ का भुगतान किया गया । जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 2003-2004 में कुल 16557 प्रकरणों में रूपये 7.14 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया ।

तेन्दूपत्ता के अतिरिक्त प्रदेश में विनिर्दिष्ट वनोपज जैसे हर्रा, गोंद वर्ग -1 कुल्लू एवं गोंद वर्ग -2 (धावड़ा, खैर, बबूल) की इकाईयों के अग्रिम निर्वर्तन/संग्रहण उपरांत विक्रय की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में तेन्दूपत्ता के वैज्ञानिक भंडारण हेतु 1.06 लाख मैट्रिक टन क्षमता (लगभग 6.36 लाख तेन्दूपत्ते बोरे) के 47 गोदामों जिनकी, अनुमानित लागत रू. 17.98 करोड़ है, के निर्माण का कार्य, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से रूपये 16.18 करोड़ का ऋण, जिसमें रूपये 3.97 करोड़ का अनुदान सम्मिलित है, प्राप्त कर किया गया है । गोदामों के निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट के रूप में विकसित करने एवं मानव केन्द्रित सतत् वन विकास (People Centered Sustainable Forest Development) की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये लघु वनोपज संघ मुख्यालय में एक राज्य स्तरीय कार्यदल "छत्तीसगढ़ राज्य में औषधि एवं अन्य लघु वनोपज के संरक्षण, विकास, उत्पादन, मूल्य संवर्धन एवं विपणन से आजीविका सुरक्षा कार्यदल" का गठन किया गया है ।

प्रदेश में लोक संरक्षित वनों की स्थापना हेतु बिलासपुर, मरवाही, धरमजयगढ़, कोरिया, धमतरी, दुर्ग, पूर्व सरगुजा, पूर्व भानुप्रतापपुर एवं जगदलपुर जिला यूनियनों का चयन किया गया । इस योजना के तहत प्रत्येक जिला यूनियन में वर्ष 2001-02 से स्थलीय संवर्धन (In-situ conservation) कार्य के अन्तर्गत जैव विविधता से भरपूर 1000 हे. क्षेत्र का प्रत्येक वर्ष चयन किया जाकर इस क्षेत्र में भूमि तथा जल संरक्षण, सी. बी.ओ. तथा लघु वनोपज/वनौषधियों के सर्वेक्षण, संरक्षण, विकास, उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन संबंधी कार्य किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त हरबेरियम निर्माण, प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण के कार्य भी किये जा रहे हैं । इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में रू. 140.00 लाख व्यय किये जा चुके हैं ।

राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2002-03 मे स्वीकृत 3 वर्षीय सुश्रुत वन योजना नारायणपुर, पूर्व रायपुर, कांकेर, दक्षिण कोंडागांव, खैरागढ़, राजनांदगांव, पश्चिम भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा एवं उत्तर कोंडागांव जिला यूनियनों में क्रियान्वित हो रही है । इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला यूनियन में 50 हेक्टेयर में अतः स्थलीय संवर्धन एवं 2 हेक्टेयर में बाह्य स्थलीय संवर्धन का कार्य किया जा रहा है । इस योजना में 9 जिला यूनियनों में स्वीकृत राशि रू. 225 लाख के विरूद्ध 170.00 लाख व्यय किया गया है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार के राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा उच्च गुणवत्ता के औषधीय पौधे तैयार करने हेतु रू. 27.50 लाख लागत के 3 वर्षीय 3 प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये हैं, जिसके विरूद्ध रू. 14.00 लाख व्यय किया गया एवं 7.28 लाख औषधि पौधे तैयार किये गये ।

धमतरी वन मंडल में अकाष्ठीय वनोपज संवर्धन एवं विपणन हेतु राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अंतःस्थलीय संवर्धन के लिये रू. 30.00 लाख, बाह्य स्थलीय संवर्धन के लिये रू. 30.00 लाख,

प्रसंस्करण के लिये रू. 30.00 लाख तथा विपणन के लिये रू. 10.00 लाख, कुल रू. 1.00 करोड़ की 3 वर्ष के 4 परियोजनायें वित्तीय वर्ष 2004-05 में स्वीकृत हुई है । अभी तक रू. 31.65 लाख व्यय किया गया है । इसके अतिरिक्त धमतरी वनमण्डल में अकाष्ठीय वनोपज संवर्धन तथा प्रमाणीकरण क्षमता विकास हेतु आई.डी.आर.सी., कनाडा के द्वारा रू. 55.00 लाख लागत की स्वीकृत 3 वर्षीय परियोजना में वर्ष 2005-06 से कार्य प्रारंभ किया गया है । इस योजना के तहत रू. 6.64 लाख व्यय किए जा चुके हैं ।

अकाष्ठीय वनोपज के संग्रहण एवं प्रसंस्करण हेतु भारत शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग से 2004-05 में रू. 144 लाख अनुदान प्राप्त हुआ है । राज्य में विभिन्न वनमण्डलों में बहुतायत से प्राप्त होने वाली लघु वनोपज को चिन्हांकित कर प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किया गया है । माहुल पत्ता से दोना पत्तल निर्माण कार्य 12 जिला यूनियनों में स्वीकृत किया गया है तथा कुल 1225 क्विंटल महुआ पत्ते का संग्रहण तथा प्रसंस्करण किया गया तथा 2420 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं । इमली प्रसंस्करण परियोजना 5 जिला यूनियनों में स्वीकृत की गई । इस परियोजना के अंतर्गत 1807 क्विंटल आंटी इमली क्रय की गई है इसमें से 600 क्विंटल फूल इमली तैयार की गई है । शहद प्रसंस्करण के लिए जशपुर में 500 क्विंटल क्षमता एवं बिलासपुर में 1000 क्विंटल क्षमता के प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किया गया है । संघ द्वारा बिलासपुर जिला यूनियन को रू. 10.00 लाख एवं जशपुर जिला यूनियन को रू. 7.00 लाख प्रदाय किया गया है । इन संयंत्रों में 186 क्विंटल संग्रहण किया जाकर 56 क्विंटल शहद का प्रसंस्करण किया गया एवं अब तक लगभग 22 क्विंटल शहद का विक्रय किया जा चुका है । लाख खेती हेतु 4 जिला यूनियनों को रू. 20.93 लाख प्रदाय किया गया है । कांकेर एवं जशपुर जिले में वृक्ष तैलीय बीज प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की गई है । इन केन्द्रों में वार्षिक 1500 क्विंटल बीज प्रसंस्करण करने की क्षमता है । कांकेर जिले के सरोना केन्द्र में 923 क्विंटल महुआ एवं कुसुम बीज का संग्रहण कर 180 क्विंटल बीज से तेल निकाला जाकर 26 क्विंटल तेल का विक्रय किया गया है । समितियों के द्वारा तैयार की गई औषधियां संजीवनी विक्रय केन्द, रायपुर में विक्रय की जाती है ।

लघु वनोपज एवं औषधि पौधों संबंधित उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु CGCERT नाम की एक स्वतंत्र प्रमाणीकरण सस्था का गठन किया गया है ।

लाख तथा अन्य लघु वनोपज के निर्यात हेतु शेलाक एक्सपोर्ट प्रमोशन कोलकाता तथा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा व्यापारियों, गैर सरकारी संगठनों तथा भारत सरकार के एवं राज्य शासन के अधिकारियों की एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 24 सितम्बर 2005 को रायपुर में किया गया ।

1.2.2 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम

1.2.2.1 गठन का औचित्य :–

मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम की धारा 60(1) के अन्तर्गत अनुसूची सात में मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम का नाम भी सम्मिलित है। मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य में अपना कार्य पूर्वानुसार जारी रखने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के गठन के सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–5–2/वन/2001/ दिनांक 30 अप्रैल 2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया ।

1.2.2.2 उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग एवं देश–विदेश में किये गये अनुसंधानों एवं अनुभवों के परिणाम स्वरूप अनुभव किया गया कि विगत 20–25 वर्षों से अनुपचारित रहे प्राकृतिक वन क्षेत्रों में व्याप्त वन सम्पदा के उचित प्रबंधन एवं सुधार हेतु ऐसे क्षेत्रों में से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्रों में सागौन का रोपण किया जाना उचित होगा ।

जैव विविधता एवं वित्तीय तौर पर वन क्षेत्रों को उत्कृष्ट बनाने के उद्देश्य से मानव निर्मित वन तैयार करने के लिए वन विभाग के सहयोग एवं आयोग की सिफारिश के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य का विभाजन होकर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित हुआ। राज्य के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 से अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य में चार परियोजना मंडल अस्तित्व में थे। सितम्बर 2001 रो औद्योगिक परियोजना मंडल, बिलासपुर का गठन किया गया। औद्योगिक वृक्षारोपण परियोजना मण्डल का मुख्य कार्य एस.ई.सी.एल., बिलासपुर, एन.टी.पी.सी. कोरबा, भिलाई इस्पात संयत्र, एन.एम.डी.सी, डब्ल्यू.सी.एल. एन.सी.एल. छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल आदि संस्थानों हेतु पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मिश्रित प्रजातियों का रोपण कार्य है। क्षेत्र हस्तांतरण उपरांत अक्टूबर 2003 में तीन नवीन परियोजना मण्डलों (सरगुजा, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा) का गठन किया गया, जिनकी कार्य आयोजना समाप्ति की ओर है। इस प्रकार अब छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम रायपुर में कुल आठ परियोजना मंडल कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड जिसका पंजीकृत मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में डी–252/253, सेक्टर–5, देवेन्द्र नगर, रायपुर में स्थित है ।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत आठ परियोजना मण्डल है।

1. बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर (स्थापना वर्ष 30.10.1975 एवं क्षेत्रफल 32763.318 हे.)
2. कोटा पंडरिया परियोजना मण्डल, बिलासपुर (स्थापना वर्ष 30.10.1975 एवं क्षेत्रफल 29242.768 हे.)
3. पानाबरस परियोजना मण्डल, राजनांदगांव (स्थापना वर्ष 17.12.1976 एवं क्षेत्रफल 41404.480 हे.)
4. अंतागढ़ परियोजना मण्डल, भानुप्रतापपुर (स्थापना वर्ष 17.12.1976 एवं क्षेत्रफल 42921.969 हे.)
5. औद्योगिक वृक्षारोपण परियोजना मण्डल, बिलासपुर (स्थापना वर्ष 23–08–2001)
6. मनेन्द्रगढ़ परियोजना मण्डल, मनेन्द्रगढ़ (स्थापना वर्ष 11–09–2003 एवं क्षेत्रफल 12662.416 हे.)
7. सरगुजा परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर (स्थापना वर्ष 11–09–2003 एवं क्षेत्रफल 20191.442 हे.)
8. कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा (स्थापना वर्ष 11–09–2003 एवं क्षेत्रफल 11643.350 हे.)

1.2.2.3 आधार एवं आवश्यकता :–

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा वर्ष 1972 में प्रस्तुत प्रतिवेदन की अनुसंशाओं के पालन में कम उत्पादकता वाले वनक्षेत्रों के संस्थागत् वित्तीय की सहायता से उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में 24 जुलाई 1975 को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत की गई थी। वन विकास निगम द्वारा निम्न परियोजनाएं संचालित की जा रही है:–

क – सागौन व बांस का रोपण ।

ख – बिगड़े वनों का सुधार ।

ग – विभिन्न शासकीय उपक्रमों व संस्थाओं हेतु रोपण ।

इनमें से प्रथम दो योजनाएं बैंकों के माध्यम से ऋण लेकर एवं तीसरी योजना विभिन्न उपक्रमों व संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई राशि से संचालित की जा रही है । दिनांक 01.11.2000 को मध्यप्रदेश राज्य एवं छत्तीसगढ़ राज्य का बंटवारा होने से छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने बाले क्षेत्र में उक्त योजनाओं को सम्पादित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01.05.2001 से पृथक से वन विकास निगम की स्थापना की गई ।

1.2.2.4 <u>गठन की प्रक्रिया</u> :–

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय ही यह सैद्धांतिक निर्णय लिया गया था कि वर्तमान नियमों की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का विभाजन किया जायेगा । मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के विभाजन के सम्बन्ध में भोपाल में दिनांक 16.02.2001 को दोनों राज्य शासन के अधिकारियों की बैठक हुई थी जिसमें राज्यों के प्रमुख सचिव, वन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक ने भाग लिया था बैठक में परिसंपत्तियों, देनदारियों एवं अमले के विभाजन के संबंध में सैद्धांतिक सहमति हुई थी ।

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा दिनांक 30.04.2001 को निगम के गठन संबंधी अधिसूचना जारी करने के पश्चात् कंपनी एक्ट 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निगम की पंजीयन प्रक्रिया का पालन करते हुए पार्षद अंतर्नियम एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत करने पर कंपनियों के रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ग्वालियर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का पंजीयन करते हुए निगमन प्रमाण पत्र U01135 CT2001 SGC14669 दिनांक 22.05.2001 जारी किया गया ।

1.2.2.5. प्रशासनिक संरचना

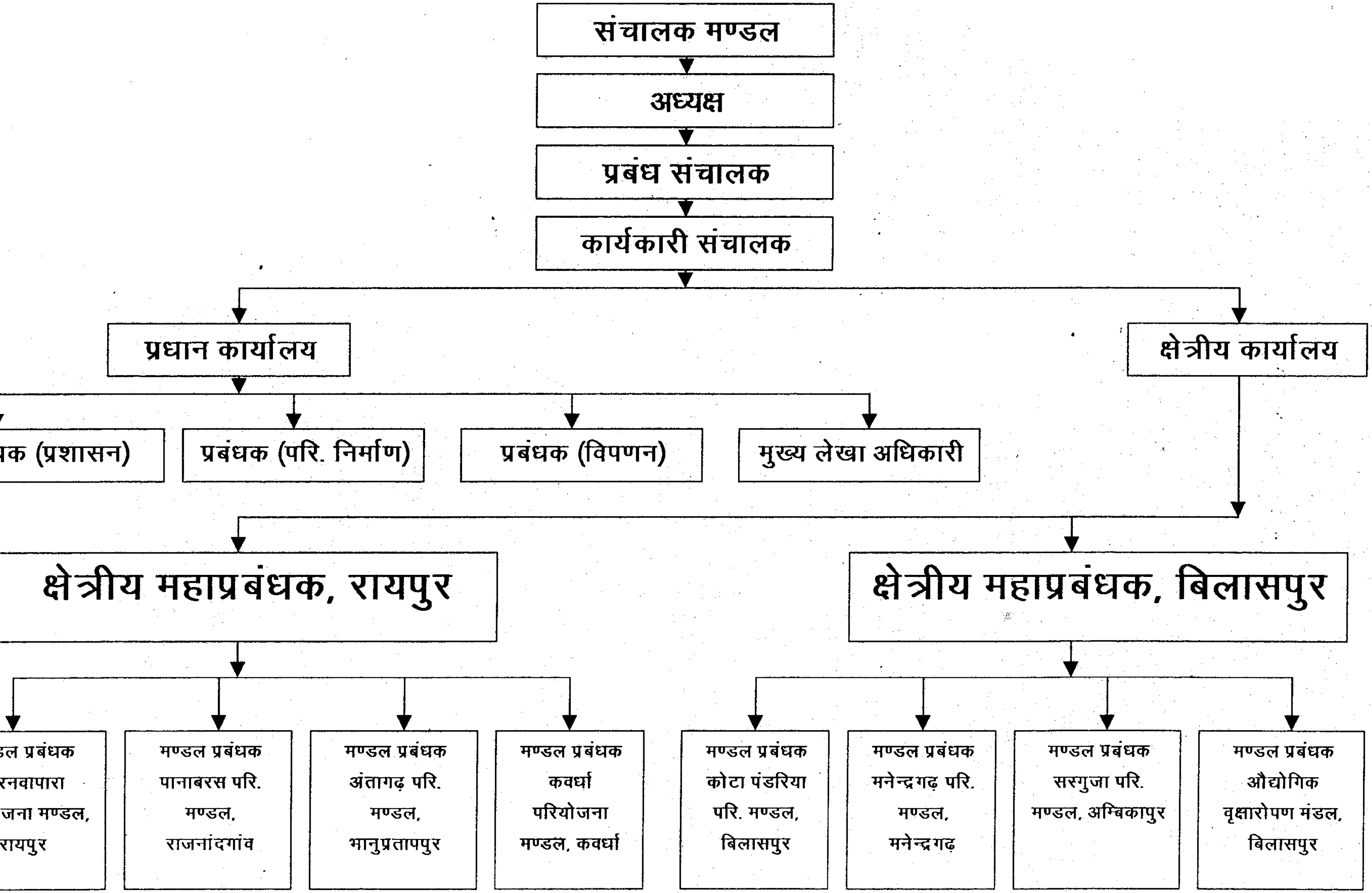

1.2.2.6 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के गठन के पश्चात् वृक्षारोपण की जानकारी निम्नानुसार है :—

रोपण वर्ष	बारनवापारा परियोजना मण्डल रायपुर		कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर		पानाबरस परियोजना मण्डल राजनांदगांव		अंतागढ़ परियोजना मण्डल भानुप्रतापपुर		कवर्धा परियोजना मण्ड, कवर्धा		मनेन्द्रगढ़ परियोजना मण्डल, मनेन्द्रगढ़		औ.वृक्षारोपण परियोजना मण्डल, बिलासपुर		योग					
															सागौन		बांस		मिश्रित	
	रकबा (हे.)	पौधा संख्या	रकबा (हे.)	पौधा संख्या	रकबा (हे.)	पौधा संख्या	रकबा (हे.)	पौधा संख्या	रकबा (हे.)	पौधा संख्या	रकबा (हे.)	पौधा संख्या	रकबा (हे.)	पौधा संख्या	रकबा (हे.)	पौधा संख्या	रकबा (हे.)	पौधा संख्या	रकबा (हे.)	पौधा संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2001	800.00	1063583	740.752	1038340	289.00	722500							240.00	600000	1829.752	2824423			240.000	600000
2002	765.00	1287500	869.700	1401641	937.00	1629500							190.00	475000	2571.400	4318641			190.000	475000
2003	821.00	1412500	815.180	1375352	907.00	1567090	713 105	1168575 42000					270.71	676776	3256.180	5523517	105.00	42000	270.710	676776
2004	1142.00	1585000	1104.324	1500000	1110.00	1743750	1082	1812500	93.00	122500	150.00	37500	340.02	850500	4531.320	6763750	59.36	37500	340.020	850500
2005	1115.00	1567500	950.460	1429450	727.00	1215000	1110	1500000					632.00	1580000	3902.460	5711950			632.000	1580000
														Total :	16091.112	25142281	164.36	79500	1672.730	4182276

1.2.2.7 उच्च तकनीक वृक्षारोपण :—

उपरोक्त रोपणों के साथ ही वर्ष 97 से परियोजनाओं में उच्च तकनीक के अंतर्गत सागौन के सिंचित रोपण किए गए हैं जिनके काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं । परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है :

(वर्ष 1997 से 2004 तक)

परियोजना मंडल का नाम	रोपण का वर्ष एवं क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)							
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	योग
बारनवापारा	10	10	15	—	—	—	—	35
कोटा पंडरिया	1.77	—	20.47	25	25	25	—	97.24
पानाबरस	10	10	10	—	—	—	—	30
अंतागढ़	14	—	—	—	—	—	10	24
योग	35.77	20	45.47	25	25	25	10	186.24

परियोजना मण्डलों में सागौन, बांस, मिश्रित वृक्षारोपणों के अलावा पर्यावरण विकास के तहत् विभिन्न संस्थानों में वैकल्पिक वृक्षारोपणों का कार्य औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल, बिलासपुर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । वर्ष 2001 से 2005 तक औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल, बिलासपुर द्वारा 4182276 पौधों का रोपण किया गया है ।

1.2.2.8 जेट्रोफा रोपण :—

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को 1 करोड़ पौधे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । जिसके तहत निम्नानुसार रतनजोत पौधे तैयार कर कृषकों को वितरण तथा वृक्षारोपण कार्य कराया गया ।

क.	जिले का नाम	परियोजना मण्डल का नाम	कृषकों को प्रदाय पौधे	रोपित किये गये पौधों की संख्या	बीज द्वारा उगाये गये पौधा
1.	2	3	4	5	6
1.	रायपुर,	बारनवापारा–रायपुर	49400	98050	600000
	महासमुंद	बारनवापारा–रायपुर	106600	420400	
2.	बिलासपुर	कोटा पंडरिया –बिलासपुर	1500	45000	166388
3.	राजनांदगांव	पानाबरस –राजनांदगांव	5950	357000	1740000
4.	कांकेर	अंतागढ –भानुप्रतापपुर	40000	488750	
5.	कोरिया	मनेन्द्रगढ़ – मनेन्द्रगढ़	30000	10400	
6	अम्बिकापुर	सरगुजा –अम्बिकापुर	5000	110000	
7.	कोरबा	औद्यो. वृक्षा मण्डल–बिलासपुर	10333	162800	
8.	कवर्धा	कवर्धा –कवर्धा			75000
		योग :—	248783	1692400	2581388

वर्ष 2005 वृक्षारोपणों हेतु परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में उपलब्ध पौधों की जानकारी

परियोजना मंडल का नाम	वर्ष 2006 रोपणी हेतु		अनुमानित पौधों की संख्या
	प्रजाति	बेड संख्या	
बारनवापारा	सागौन	4000	2000000
कोटा पंडरिया	सागौन	3000	2000000
पानाबरस	सागौन	4500	2550000
अंतागढ़	सागौन	4000	2800000
कवर्धा	सागौन	2540	1830000
	बांस	100	250000
सरगुजा	सगौन	1100	800000
	बांस	400	300000
मनेन्द्रगढ़	सगौन	500	250000
	ब्रांस	500	200000
योग :–		**20640**	**12980000**

वर्ष 2002–03 से 2004–05 तक वर्षवार रोपण भंडार की जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ष	बारनवापारा	कोटापंडरिया	पानाबरस	अंतागढ़	योग
2000-01	1660000	2000000	869000		4529000
2002-03	2523000	1500000	2163000	2023000	8209000
2003-04	3570000	1054050	2022300	2432425	9078775
2004-05	3251000	1122100	1357800	2993800	8724700
				महायोग :	**38419475**

वर्ष 2006 हेतु वृक्षारोपण का लक्ष्य :–

क्र.	परियोजना मंडल का नाम	सागौन (हेक्टेयर) नेट	लक्ष्य बास	क्षेत्र तैयारी (नेट) हे.
1.	बारनवापारा	600	—	600
2.	कोटा पंडरिया	600	—	600
3.	पानाबरस	650	—	650
4.	अंतागढ़	800	—	800
5.	कवर्धा	600	—	600
6.	सरगुजा	200	400	600
7.	मनेन्द्रगढ़	100	200	300
	योग	3550	600	4150 या 4200 हे.

औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल में मिश्रित प्रजाति के 11,00,000 पौधे लगाये जावेंगे।

1.2.2.9 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम गठन के पश्चात् वर्ष 2001, 2002, 2003 एवं 2004 में किए गए विदोहन की जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ष	लक्ष्य			उत्पादन			
	काष्ठ (घ. मी.)	जलाऊ चट्टा (नग)	बांस (नो. टन)	काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ चट्टा (नग)	व्या. बांस (नो. टन)	औ. बांस (नो. टन)
2000-01	-	-	-	44405.222	67704	2966.240	5530.964
2001-02	46000	68750	5235	75705.959	117198	1534.338	3319.217
2002-03	60572	77442	7827	67601.515	115443	1910.136	3016.708
2003-04	72280	84375	5360	46018.177	101934	1230.835	1891.013
2004-05	* 158197	229650	10400	52855.525	79593	809.130	1202.228

नोट : – (1) वर्ष 2000–01 का लक्ष्य मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि. भोपाल द्वारा निर्धारित किया गया था।

* (2) नये परियोजना मण्डल कवर्धा, सरगुजा एवं मनेन्द्रगढ़ की कार्य आयोजना भारत सरकार से स्वीकृत होने में विलम्ब होने के कारण उक्त परियोजना मण्डलों हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई।

<u>वर्ष 2004–05 में वनोपज के लक्ष्य, उत्पादन की जानकारी जून 2005</u>

लक्ष्य			उत्पादन		
काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ चट्टा (नग)	बांस (नो. टन)	काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ चट्टा (नग)	बांस (नो. टन)
158197	229650	10400	52855.525	79593	2011.358

1.2.2.10 विभिन्न मण्डलों में वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 एवं 2005 में विदोहन की जानकारी निम्नानुसार है

वर्ष	बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर				कोटा–पंडरिया परियोजना मण्डल, बिलासपुर				पानाबरस परियोजना मण्डल, राजनांदगांव				अंतागढ़ परियोजना मण्डल, भानुप्रतापपुर				कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा				योग			
	काष्ट (घ.मी.)	जलाऊ (नग)	व्या. (नो.टन)	औद्यो. (नो.टन)	काष्ट (घ.मी.)	जलाऊ (नग)	व्या. (नो.टन)	औद्यो. (नो टन)	काष्ट (घ.मी.)	जलाऊ (नग)	व्या. (नो.टन)	औद्यो. (नो.टन)	काष्ट (घ.मी.)	जलाऊ (नग)	व्या. (नो.टन)	औद्यो. (नो.टन)	काष्ट (घ.मी.)	जलाऊ (नग)	व्या. (नो.टन)	औद्यो. (नो. टन)	काष्ट (घ. मी.)	जलाऊ (नग)	व्या. (नो.टन)	औद्यो. (नो.टन)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2001	8617.689	18485	117.623	25.275	13628.012	19480	788.792	2339.283	21891.000	29112	1914.000	2634.000	268.521	627	145.825	532.406					44405.222	67704	2966.240	5530.964
2002	9920.569	24318	10.966	25.850	17533.231	20688	184.679	1359.218	43870.291	65802	1262.919	1589.452	4381.868	6390	75.774	344.697					75705.959	117198	1534.338	3319.217
003	7646.275	19637	28.733	9.454	12119.267	15947	85.904	461.806	17783.753	28956	1672.471	2145.648	30052.220	50903	123.028	399.800					67601.515	115443	1910.136	3016.708
004	1231.657	11534			6051.104	14655	183.462	531.128	16168.692	27752	794.396	1021.303	21975.116	46998	252.977	338.582	591.608	995			46018.177	101934	1230.835	1891.013
05	7972.380	11750	166.865	97.159	12538.306	16395	205.688	519.149	16661.775	17913	411.831	462.320	14832.465	33202	24.746	123.600	850.599	333			52855.525	79593	809.130	1202.228

1.2.2.11 वर्ष 2004–05 में वनोपज के उत्पादन एवं परिवहन की जानकारी (जून 2005) निम्नानुसार है :–

क्र.	परियोजना मण्डल का नाम	अनुमानित उत्पादन				वास्तविक उत्पादन				परिवहन			
		काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ (नग)	व्यापारिक (नो.टन)	औद्योगिक (नो.टन)	काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ (नग)	व्यापारिक (नो.टन)	औद्योगिक (नो.टन)	काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ (नग)	व्यापारिक (नो.टन)	औद्योगिक (नो.टन)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर	7512.530	9316.000	235.000		7972.380	11750.000	166.865	97.159	7972.380	11750.000	166.865	97.159
2	कोटा–पंडरिया परियोजना मण्डल, बिलासपुर					12538.306	16395.000	205.688	519.149	12538.306	16395.000	205.688	519.149
3	पानाबरस परियोजना मण्डल, राजनांदगांव	19194.645	20783.000	751.1400	1096.780	16661.775	17913.000	411.831	462.320	13759.950	15805.000	411.831	461.070
4	अंतागढ़ परियोजना मण्डल, भानुप्रतापपुर	22086.000	37425.000	120.000	163.600	14832.465	33202.000	24.746	123.600	14746.454	32906.000	24.746	123.600
5	कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा	1200.685	65.000			850.599	333.000			850.599	308.000		
	योग :–	**49993.860**	**67589.000**	**1106.140**	**1260.380**	**52855.525**	**79593.000**	**809.130**	**1202.228**	**49867.689**	**77164.000**	**809.130**	**1200.978**

1.2.3. छत्तीसगढ राज्य वनौषधि बोर्ड

1.2.3.1 प्रशासनिक संरचना

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त संख्या
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	1	1	-
2	अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी	1	1	-
3	संयुक्त संचालक आयुर्वेद	1	-	1
4	लेखापाल	1	-	1
5	स्वागत अधिकारी	1	-	1
6	संदेश वाहक	2	1	1

1.2.3.2 राज्य शासन के संकल्प दिनांक 28.07.2004 द्वारा औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं निर्माण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड की स्थापना की गई है ।

1.2.3.3 बोर्ड का उद्देश्य :

1. वनौषधियों के विकास हेतु शोध और अनुसंधान कराना ।
2. केन्द्रीय औषधीय पादप बोर्ड या राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही औषधि पौधों के विकास योजनाओं का अनुश्रवण करना ।
3. औषधि वनस्पतियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विनाश-विहीन विदोहन हेतु नीति तथा योजनाएं बनाना ।
4. औषधि पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण ।
5. औषधि वनस्पतियों का प्रसंस्करण (कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की स्थापना) तथा वनौषधियों के निर्माण तथा उत्पादों के निर्यात एवं विपणन की योजना बनाना ।
6. औषधि पौधों की मांग एवं आपूर्ति का आकलन कराना ।
7. औषधि पौधों के विकास के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना ।
8. पारम्परिक चिकित्सकों की पहचान करने तथा मान्यता दिलाने के कार्य का समन्वय करना ।
9. पारम्परिक चिकित्सकों तथा समुदाय के औषधि पौधों के ज्ञान एवं उपयोग को पेटेन्ट कराना ।
10. वनौषधियों से संबंधित अन्य अनुषांगिक कार्य ।

1.2.3.4 बोर्ड द्वारा संपादित कार्यो का विवरण :

बोर्ड द्वारा आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 10 वनौषधियों की पहचान कर चिन्हित किया गया है ।

आंवला, ग्वारपाठा, सर्पगंधा, कोलियस, पचौली, केवांच, कलिहारी, गिलोय, स्टीविया एवं सुगंधित घासें । इनका बाजार लगभग स्थिर है तथा इनका संग्रहण अथवा खेती आसानी से की जा सकती है ।

छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्ध जैव विविधता में औषधीय पौधों की पहचान, उपलब्धता, उपयोगिता एवं औषधीय संबंधी विवरण का डाटाबेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वात्यसायी संस्थान Foundation for revitalisation of Local health traditions (FRLHT), Bangalore द्वारा वनौषधि बोर्ड के सहयोग से तैयार किया जा रहा है ।

बोर्ड द्वारा अन्य शासकीय विभागों के साथ निम्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लिया गया है:

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली (14 से 27 नवंबर, 2004)
2. प्रवासी भारतीय सम्मेलन (7 से 9 जनवरी, 2005) मुम्बई
3. "बेंगलौर बायो 2005" (22 से 24 अप्रैल, 2005), बेंगलोर
4. आरोग्य 2005 (14 से 27 सितम्बर 2005), नई दिल्ली
5. राष्ट्रीय किसान मेला (25 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2005), दुर्ग
6. छ.ग. राज्योत्सव 2005, (26 से 31 अक्टूबर 2005)
7. इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली (14 से 27 नवम्बर 2005),

इन आयोजनों में वनौषधि व्यापारियों, आयुर्वेद दवाओं के निर्माताओं एवं आम जनता को छत्तीसगढ़ की समृद्ध वनौषधि संपदा से संबंधित जानकारी दी गई । इसके उत्साह वर्धक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं ।

राज्य के समस्त जिलों में एक-एक वनौषधि वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है । जिससे स्थानीय निवासियों को औषधि पौधों के समस्त विधाओं पर तकनीकी ज्ञान दिया जा सके और उन्हें आवश्यकतानुसार रोपण हेतु उच्च गुणवत्ता के औषधि पौधे तैयार किये जा सकें । छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा इस निमित्त एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इसके अंतर्गत प्रथम चरण में ग्राम केन्द्री, रायपुर में सामाजिक वानिकी वन मण्डल, रायपुर के 3 वर्षीय प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है । इसके अतिरिक्त कोरबा में बाल्को रायगढ़ में रामझरना, बिलासपुर में कानन पेण्डारी, महासमुंद में मुढ़ीपार, बस्तर में कुम्हारपारा के प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2005-06 में औषधीय पौधों के निम्नानुसार 4 प्रमोशनल स्कीम स्वीकृत किये गये हैं :

1. उच्च गुणवत्ता के औषधीय पौधों का उत्पादन, क्षेत्रीय वनमण्डल, रायपुर, परियोजना अवधि-3 वर्ष, लागत रू.25.00 लाख ।
2. वनौषधि वाटिका सह उत्पादन सह प्रदर्शन केन्द्र गोढ़ी, सामाजिक वानिकी वनमण्डल रायपुर, परियोजना अवधि 3 वर्ष, लागत रू.20.00 लाख ।
3. उच्च गुणवत्ता के औषधीय पौधों का उत्पादन, क्षेत्रीय वनमण्डल, दुर्ग, परियोजना अवधि-3 वर्ष, लागत रू.24.00 लाख
4. उच्च गुणवत्ता के औषधीय पौधों का उत्पादन, क्षेत्रीय वनमण्डल, कांकेर परियोजना अवधि-3 वर्ष, लागत रू.25.00 लाख ।

- बोर्ड द्वारा वनौषधि क्षेत्र में कार्यरत कुल 453 कृषकों 56 व्यापारियों एवं 7 संग्रहणकर्ताओं का पंजीयन किया गया है ।
- बोर्ड द्वारा स्थापना उपरांत 172 कृषकों, 17 व्यवसायियों को वनौषधि क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया गया है ।
- बोर्ड द्वारा नवंबर 2005 में वन विभाग के 107 अधिकारियों/ कर्मचारियों को वनौषधियों के विभिन्न विधाओं पर प्रशिक्षण दिया गया है । निकट भविष्य में और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे ।
- बोर्ड द्वारा वनौषधियों के मार्केटिंग को सुनियोजित करने के लिए महत्वपूर्ण वनौषधि उद्योगों एवं व्यवसायियों से संपर्क किया जा रहा है ।
- कृषकों को समुचित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने एवं उचित दर पर रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 2 वर्षीय प्रोजेक्ट (लागत रू.16.55 लाख) स्वीकृत किया है । इसके अंतर्गत विभिन्न वनौषधियों से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण Active Principal की पहचान की जायेगी तथा इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर शोध किया जायेगा ।
- राज्य में वनौषधियों के संरक्षण, संवर्धन, कृषि, विपणन, अनुसंधान एवं विकास हेतु एक कार्य आयोजना तैयार की गई है जिसे अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है ।

1.2.3.5 प्रस्तावित योजनायें

- वनौषधि उत्पादों के विपणन हेतु मार्केट लिंकेज तैयार करना ।
- रायपुर में वनौषधि अनुसंधान एवं विपणन पार्क की स्थापना
- राज्य के सभी जिलों में चुनिंदा स्कूलों में हर्बल गार्ड़न की स्थापना ।
- छ.ग. राज्य वनौषधि बोर्ड की वेबसाईट का निर्माण
- वनौषधियों से संबंधित तकनीकी साहित्य एवं प्रचार सामग्री का निर्माण ।
- राज्य की हर्बल विकास नीति तैयार करना ।

1.2.3.6 वर्ष 2003-04 में Contractual Farming Project के 85 प्रकरण प्राप्त हुए जिससे विभागीय छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षण उपरांत स्वीकृति हेतु एन.एम.पी.बी. नई दिल्ली को भेजा गया विवरण निम्नानुसार है :-

<u>वर्ष 2003-04</u>

क्र.	वर्ष	प्राप्त प्रकरणों की संख्या	स्वीकृति हेतु भेजे गये प्रकरणों की संख्या	स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों की संख्या	प्रजाति का नाम	कुल क्षेत्रफल एकड़ में	स्वीकृत राशि (लाख में)
1.	2003.04	85	65	48	सफेद मूसली, आंवला, बच, लेमनग्रास	653.86	196.15

वर्ष 2004-05 में Contractual Farming Project के 174 विविध कृषकों से प्राप्त हुआ जिसे विभागीय छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षण उपरांत 108 परियोजना एन. एम.पी.बी. नई दिल्ली को भेजे गये जिसमें से मात्र 19 प्रकरणों की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	प्राप्त प्रकरणों की संख्या	स्वीकृति हेतु भेजे गये प्रकरणों की संख्या	स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों की संख्या	कुल क्षेत्रफल एकड़ में	प्रजाति का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	प्रथम किश्त की राशि
1.	174	108	30	427.18	आंवला, कोलियस, सर्पगंधा, स्टीबिया, अनाटो, सफेद मूसली, बिक्सो, कलिहारी	79.06	39.71

1.3 वन विभाग के दायित्व

वन विभाग छत्तीसगढ़, "राज्य की वन संपदा एवं जैव विविधता को" वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के बहुआयामी उपयोग हेतु संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये कृत संकल्पित है। संक्षेप में विभाग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :-

- राज्य की समृद्ध जैव-सांस्कृतिक विविधता एवं विरासतों का संरक्षण।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना।
- संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से राज्य के वनों की सुरक्षा, संरक्षा एवं समेकित विकास करना।
- वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु संरक्षित क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास।
- वनों से कार्य आयोजना के अनुसार इमारती काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बाँस का उत्पादन एवं निर्वर्तन ।
- अकाष्ठीय वन उत्पादों का संग्रहण, भंडारण, मूल्य संवर्धन एवं निर्वर्तन कर संग्राहकों को अधिकाधिक लाभ दिलाना।
- वनों पर आश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की उपलब्धतानुसार निस्तार पूर्ति।
- गैर वानिकी क्षेत्रों में वानिकी का विस्तार।
- वनाश्रित समुदायों के आर्थिक उत्थान के कार्य करना

1.4 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, सामान्य या प्रमुख विशेषताएँ एवं महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.4.1 सामान्य परिदृश्य

[illegible] 224 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1 प्रतिशत हैं। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59772 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2 प्रतिशत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर हैं ।

छत्तीसगढ राज्य के वन – एक दृष्टि मे

वन वर्गीकरण	वन क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)	प्रतिशत
अ. वैधानिक स्थिति		
आरक्षित	25782.17	43.13
संरक्षित	24036.10	40.22
अवर्गीकृत	9954.13	16.65
योग	**59772.40**	**100.00**
ब. वनों के प्रकार		
साल	24244.88	40.56
सागौन	5633.13	9.42
मिश्रित	26018.38	43.52
कार्य अयोग्य	3876.01	6.50
योग	**59772.40**	**100.00**
स. वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र *		
राष्ट्रीय उद्यान – 3 वन्यप्राणी अभ्यारण्य– 11	6615.295	11.06

1.4.2 छत्तीसगढ़ में वनों की प्रासंगिकता

छत्तीसगढ़ राज्य जिसका विस्तार 17°46' से 24°6' उत्तर अक्षांश तथा 80°15' से 84°51' पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र (135224 वर्ग कि. मी.) है जिसका लगभग 44.2: भौगोलिक क्षेत्र (59772 वर्ग किलोमीटर) वनों से आच्छादित हैं और इसमें 4 प्रमुख नदी प्रणालियों, क्रमशः महानदी, गोदावरी, नर्मदा और बानगंगा का जलग्रहण क्षेत्र शामिल हैं। महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, ईब राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। राज्य की जलवायु मुख्यतः सह आद्र तथा औसत वार्षिक वर्षा 1200 से 1500 मि.मी. हैं ।

राज्य के वनों को दो प्रमुख वर्गो में विभाजित किया गया है, यथा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन। राज्य की दो प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ साल (शोरिया रोबस्टा) तथा सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष वितान में बीजा (डिप्टेरोकार्पस मार्सूपियम), साजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), धावड़ा (ऐनागाईसिस लैटिफोलिया), महुआ (मधुका इंडिका), तेन्दू (डायोस्पाईरस मेंलैनौक्जाईलान) प्रजातियाँ हैं। मध्य छत्र में आंवला (एम्बिलिका ऑफिसिनेलिश), कर्रा (कोलीस्ट्रेन्थस कोलाइनस) तथा बांस (डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस) आदि महत्वपूर्ण प्रजातियॉ हैं। भूतल भाग में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हैं ही साथ ही वे वन–वासियों के आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं।

जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेकन जैव क्षेत्र में शामिल हैं तथा मध्य भारत के प्रतिनिधि वन्यप्राणियों जैसे शेर (पैन्थरा टिगरीस), तेन्दुआ (पैन्थरा पार्ड्स), गौर (बॉस गौरस), सांभर (सेरवस यूनिकोलर), चीतल (एक्सेस एक्सेस), नीलगाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) एवं जंगली सुअर (सस सेक्रोफा) से परिपूर्ण है। दुर्लभ वन्य प्राणियों जैसे वन भैसा (बूबालस बूबालस) तथा पहाड़ी मैना (ग्रेकुला इंडिका) इस राज्य की बहूमूल्य धरोहर हैं जिन्हें क्रमशः राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित किया गया है। साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।

यह राज्य, कोयला, लोहा, बॉक्साईट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन इत्यादि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जो मुख्यतः वन क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं।

राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आदिवासी, एवं आर्थिक रुप से पिछड़े हैं जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के संवहनीय एवं सर्वागीण विकास परिदृश्य में वनों का विशिष्ट स्थान है।

1.4.3 छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति –2001

उपरोक्त पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ राज्य ने जनोन्मुखी वन नीति बनाई है। संभवतः देश का यह प्रथम राज्य है जिसने वन प्रबंधन को एक नई दिशा देने में ठोस पहल की है। नीति में वन संसाधन के सतत् एवं टिकाऊ प्रबंधन से समाज के आदिवासी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लोगो की सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है।

नई वन नीति के मूलभूत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन के कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए गये हैं एवं इनका सभी स्तरों पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

<u>वन नीति–2001 के मूल उद्देश्य</u>

- राज्य के विपुल संसाधन को निरंतरता के आधार पर स्थानीय निवासियों के दीर्घ कल्याण हेतु चिन्हांकित कर उनके उन्मुक्त उपभोग का सामुदायिक नियंत्रण एवं प्राथमिकता के आधार पर संरक्षित एवं प्रबंधित संसाधन के रूप में मान्य करना।
- प्रमुख वनोपज(लकड़ी) से लघुवनोपज, एकल स्तर से बहुस्तरीय वन प्रबंधन तथा प्रतीकात्मक प्रजाति से वन्य प्राणियों के समस्त छोटे बड़े घटकों को समानुपातिक महत्व दिया जाना।

- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावर्णीय स्थायित्व तथा पारिस्थितकीय संतुलन स्थापित करना।
- जैविक रूप से सम्पन्न प्राकृतिक वन जो आदिवासी जन जीवन के प्रमुख सांस्कृतिक आधार हैं, को सुरक्षित रखकर राज्य के जैव सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना।
- नदियों एवं जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में होने वाले भूक्षरण एवं वन आवरण कमी को नियंत्रित करना ताकि बाढ़ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न न हो। निरंतर गिर रहे भू–जल स्तर को उच्चतम उपयोग स्तर पर लाना और जलाशयों में गाद जमा होने की गति में कमी लाना।
- कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्ष रहित अनुत्पादक भूमि पर कृषि वानिकी एवं वृक्ष खेती जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वन आवरण में वृद्धि करना।
- वनों की धारक क्षमता को ध्यान में रखकर ग्रामीण एवं आदिवासी जनता की जलाऊ एवं छोटी लकड़ी,चारा एवं लघु वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- वनों को आर्थिक लाभ का स्त्रोत न मानकर, राज्य के पर्यावरणीय स्थायित्व एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक युक्ति नीति एवं वैधानिक संरचना सृजित करना।

1.4.4 मानव संसाधन विकास

वन विभाग मे क्षेत्रीय कर्मचारियों को विभाग के तकनीकि कार्यो में प्रशिक्षण देने तथा सेवारत कर्मचारियों के पुनर्स्मरण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिये एक वन विद्यालय, जगदलपुर एवं दो वनरक्षक प्रशिक्षणशाला क्रमशः सक्ती तथा महासमुंद में स्थित है।

वन विद्यालय जगदलपुर में वनपाल स्तर के क्षेत्रीय वनाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण छः माह की अवधि का है तथा वर्ष में दो प्रशिक्षण सत्र प्रत्येक 50 प्रशिक्षणार्थियों का आयोजित किया जाता है।

महासमुंद एवं सक्ती में स्थित वनरक्षक प्रशिक्षणशाला में 50–50 वनरक्षकों को एक सत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। इनका एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित है। वनरक्षक प्रशिक्षणशाला में प्राविण्य सूची में प्रथम आये वनरक्षक को वनपाल प्रशिक्षण में भेजे जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2005–06 में इन प्रशिक्षणशालाओं में निम्नानुसार नियमित प्रशिक्षण दिया गया :–

प्रशिक्षणशाला का नाम	***प्रशिक्षण सत्र***	***प्रशिक्षित किये जा रहे / किये गये वनपाल / वनरक्षक***
वन विद्यालय, जगदलपुर	जून 05 – नवम्बर 05 दिसम्बर	53 वनपाल
	दिसम्बर 05 – मई 06	40 वनपाल
वनरक्षक प्रशिक्षणशाला, सक्ती	जून 05 – मई 06	50 वनरक्षक
वनरक्षक प्रशिक्षणशाला, महासमुंद	जून 05 – मई 06	50 वनरक्षक

इन प्रशिक्षण संस्थानों में नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त संयुक्त वन प्रबंधन/ लोक संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत गठित समितियों के सदस्यों को भी वानिकी के विभिन्न विधाओं में व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु लगातार प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे है । साथ ही वन कर्मचारियों के लिये भी रिफ्रेशर कोर्स संचालित किये जा रहे है।

सूचना प्रौद्योगिकी की नई तकनीकियों के वन प्रबंधन में उपयोग, ग्रामीण विकास, संयुक्त वन प्रबंधन, वन्यप्राणी प्रबंधन, रिमोट सेंसिंग एवं जी.आई.एस. आदि विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केन्द्रों में अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है ।

छत्तीसगढ़ में पदस्थ अन्य अधिकारी / कर्मचारियों को राज्य के बाहर प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित संस्थानों में भेजा गया :–

भारतीय वन सेवा

NITT- GIS New Delhi, Kothari Agri. management Centre Nilgiri Cuoonor, TERI New Delhi, WII Dehradun, Central Food Tech. Research Institute Mysure, IIM Lucknow, A.P. Forest Academy Hyderabad, IIFM Bhopal, N.I.O. Goa, IIM Bangalore, Forestry Training Institute Jaipur , Xavier Institute Of management Bhubneshwar, W.W.F.N. I. New Delhi, H.I.P.A. Shimla, T.F.R.I Jabalpur, P.C.E.H.L.R.D. Aurobrindravan, R.C.N.A.Eco-Dev. Board Kalkata, F.R.I. Dehradun, I.G.N.F.A. Dehradun, Bannerghatt. Nature Camp. Bangalore, V.V.M.I. Management Training& Research Goa, V.M.N.I. Co-op. Management Pune

राज्य वन सेवा

Forest Survey of India, Dehradun, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्यप्रदेश भोपाल, राज्य वन महाविद्यालय देहरादून, Eastern Forest Ranger College, Kurseong, Director Soil Conservation Training Center DVC Hazaribag (Jharkhand)

1.4.5 विकास योजनाएँ :–

1.4.5.1 बिगड़े वनों का सुधार

इस योजना का कियान्वयन वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित कम घनत्व वाले विरले क्षेत्रों मे किया जाता है। ये क्षेत्र अधिकांशतः आबादी से घिरे हुए हैं तथा अत्यधिक चराई, निस्तार पूर्ति हेतु जैविक दबाव की वजह से बिगड़े वन के रुप मे हैं। अधिकांश क्षेत्रो में जड़ भण्डार की पर्याप्त मात्रा है जो कि विकृत रुप मे है। योजना का मुख्य उद्धेश्य भू–जल संरक्षण कार्य करते हुए जड़ भण्डार एवं वृक्षारोपण से क्षेत्र का पुर्नवास करना है । इस कार्य में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की पूर्ण सहभागिता रहती है, प्रथम वर्ष के कार्यो से लेकर अगले 5 वर्षो तक सुरक्षा आदि का कार्य समितियों के सहयोग से किया जाता है। प्रथम वर्ष में सुधार कार्यों से प्राप्त वनोपज को शत प्रतिशत समितियों को प्रदाय किया जाता है तथा क्षेत्र की समितियों द्वारा सामूहिक सुरक्षा करने के एवज में उन्हे इस हेतु निर्धारित राशि प्रदाय की जाती है ।

राज्य के विभिन्न वनमंडलों की कार्य योजनाओं के अनुसार बिगड़े वनों का सुधार [illegible] अंतर्गत वर्षवार निम्नानुसार कार्य संपादित किया गया है :–

वित्तीय वर्ष	प्रथम वर्ष का कार्य (हे.में)	द्वितीय वर्ष का कार्य (हे.में)	पुराने क्षेत्रों का रखरखाव (हे.में)	कुल आर्थिक [illegible] एवं व्यय (राशि लाख में)	
				आबंटन	व्यय
2003–04	43297	25461	44509	1220.00	1214.[illegible]
2004–05	55289	29392	24865	1280.00	1261.98
2005–06 (12/05 तक)	41682	33079	50708	1775.00	6[illegible].19

1.4.5.2 बिगड़े बांस वनों का सुधार

इस योजना के अंतर्गत वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित ऐसे बिगड़े बांस वन [illegible] लिया जाता है जहां पर बांस के भिर्रे जीर्ण–शीर्ण हो जाते हैं या अत्यधिक गुंथ जाते हैं जिसके [illegible] अनुत्पादक हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में गुथे बांस भिर्रो की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई, बिना गुंथे हुए अविक[illegible] में मिट्टी चढ़ाई तथा विरल क्षेत्रें में बांस वृक्षारोपण एंव रखरखाव द्वारा सुधार कार्य किया जाता है। [illegible] की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई से जहां अविकसित भिर्रे विकसित होते हैं तथा उसमें नये बासों की संख्या में [illegible] होती है तथा बास की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।

विगत वर्ष के आर.डी.बी.एफ. के आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

(राशि लाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रथम वर्ष का आर.डी.बी.एफ. कार्य (हे. में)	योजना अंतर्गत कुल बजट प्रावधान	कुल [illegible]
2003–04	11169	479.00	[illegible]
2004–05	18793	500.00	[illegible]
2005–06 (12/05 तक)	11868	505.00	126.55

1.4.5.3 पर्यावरण वानिकी

शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के [illegible] रायपुर में राजीव स्मृति वन नाग की महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है एवं राज्य के अन्य जिलों के [illegible] क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं अन्य इको टूरिज्म संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। रायपुर के नंदन वन, बिलासपुर के कानन पेंडारी मे जन सुविधाओं के विकास तथा वन्य जीवों के विकास एवं रखरखाव के कार्य किये जा रहे हैं। वर्षवार प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि लाख में)

वित्तीय वर्ष	*कार्य*	*आबंटन*	*व्यय*
2003–04	केशकाल पुचवटी, दुर्गाधारा, भालूमार तालाब रखरखाव, आसना पर्यावरण वन, कुटुम्बसर गुफा, रायपुर के नंदन वन, बिलासपुर के कानन पेंडारी का विकास, वन महोत्सव, 50 हजार तुलसी पौधा वितरण, पथ वृक्षारोपण आदि	294.00	330.00
2004–05	स्मृति वन रायपुर, संजय उद्यान अम्बिकापुर, इंदिरा उद्यान पेंड्रा, केन्दई जल प्रपात स्थल का विकास, केशकाल पंचवटी, दुर्गाधारा, भालूमार तालाब रखरखाव, आसना पर्यावरण वन, कुटुम्बसर गुफा, रायपुर के नंदन वन, बिलासपुर के कानन पेंडारी का विकास, वन महोत्सव, पथ वृक्षारोपण आदि	250.00	246.78
2005–06 (12/2005 तक)	स्मृति वन रायपुर, संजय उद्यान अम्बिकापुर, इंदिरा उद्यान पेंड्रा, दुर्गाधारा, आसना पर्यावरण वन, वन महोत्सव, पथ वृक्षारोपण आदि	310.00	83.36

1.4.5.4 कार्य आयोजनाओं के अनुसार कूपों में कार्य

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य प्रबंधन वृत्तों के अतिरिक्त अन्य प्रबंधन कार्य वृत्तों के प्रावधानित क्षेत्र में निम्नानुसार कार्य किया गया है –

वर्ष 2003–04

कार्य वृत्त	*लक्ष्य (हे. में)*	*स्वीकृत राशि (लाख में)*
फ्यूल फाडर एवं पास्चर डेव्लपमेंट वर्किंग सर्किल	1379	18.30
भूमि संरक्षण वर्किंग सर्किल	7074	129.92
ट्राईबल अपलिफ्टमेंट वर्किंग सर्किल	3403	55.74
स्पेशल साल इन्प्रूव्हमेंट वर्किंग सर्किल	455	10.20
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल	22868	235.29

वर्ष 2004–05

कार्य वृत्त	*लक्ष्य (हे. में)*	*स्वीकृत राशि (लाख में)*
फ्यूल फाडर एवं पास्चर डेव्लपमेंट वर्किंग सर्किल	1317	34.24
भूमि संरक्षण वर्किंग सर्किल	6020	165.55
ट्राईबल अपलिफ्टमेंट वर्किंग सर्किल	3240	78.98
स्पेशल साल इन्प्रूव्हमेंट वर्किंग सर्किल	833	19.82
मेन फेलिंग के कूपों में प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य	40318	161.27
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल	19271	226.41

वर्ष 2005–06 (दिसम्बर 2005 तक)

कार्य वृत्त	लक्ष्य (हे. में)	स्वीकृत राशि (लाख में)
फ्यूल फाडर एवं पास्चर डेव्लपमेंट वर्किंग सर्किल	828	22.00
भूमि संरक्षण वर्किंग सर्किल	6857	188.00
ट्राईबल अपलिफ्टमेंट वर्किंग सर्किल	429	11.00
स्पेशल साल इन्प्रूव्हमेंट वर्किंग सर्किल	528	12.00
मेन फेलिंग के कूपों में प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य	45316	181.00
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल	15569	182.00

1.4.5.5 सड़के तथा मकान निर्माण कार्य

इस योजना में मांग संख्या 10 एवं 41 के अंतर्गत वन विभाग के विभिन्न स्तर पर कार्यालय निर्माण, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाता है। वर्षवार कार्य निम्नानुसार है :

(राशि लाख में)

वित्तीय वर्ष	भवनों की संख्या	बजट प्रावधान	व्यय राशि
2003–04	177	330.00	352.10
2004–05	215	315.00	316.61
2005–06 (12/05 तक)	199 पूर्ण निर्माण 350 आंशिक निर्माण	720.00	201.46

1.4.5.6 हरियाली प्रसार योजना

कृषकों की पड़त भूमि में पौधा रोपण को प्रोत्साहन देने की यह अभिनव योजना वर्ष 2005–06 के बजट में प्रथम बार शामिल की गई। योजना अंतर्गत इच्छुक कृषकों द्वारा उनकी पड़त भूमि में पौधा रोपण हेतु गढ्ढे खोदे जाने पर विभाग द्वारा उन्हें निःशुल्क पौधा प्रदाय कर पौधा रोपण, निंदाई, खाद आदि के लिए पूरी राशि उपलब्ध कराई जाती है। योजना अंतर्गत एक कृषक को न्युनतम 250 तथा अधिकतम 1000 पौधों तक उपरोक्त लाभ दिया जाता है। वर्ष 2005–06 में इस योजना अंतर्गत 80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 1202 हितग्राहियों की पड़त भूमि पर 4.97 लाख पौधों का रोपण किया गया है। दिसम्बर 2005 की स्थिति में रुपये 26.77 लाख का व्यय किया जा चुका है।

1.4.5.7 पौधा प्रदाय योजना

वनेत्तर क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन हेतु यह नई योजना वर्ष 2005–06 के बजट में प्रथम बार शामिल की गई है। योजना अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक रुपये प्रति पौधे की रियायती दर पर उसकी आवश्यकता अनुसार अधिकतम 1000 पौधे प्रदाय करने का प्रावधान है। वर्ष 2005–06 में इस योजना अंतर्गत कुल 50 लाख रुपये का प्रावधान है जिसके तहत 12.64 लाख पौधों का वितरण किया गया है। दिसम्बर 2005 की स्थिति में रुपये 25.29 लाख का व्यय किया जा चुका है।

1.4.5.8 नदी तट वृक्षारोपण

नदियों के तटों का कटाव रोकने तथा नदियों का बहाव बनाये रखने के लिए यह दूरदर्शी महत्वाकांक्षी योजना प्रथम बार वर्ष 2005–06 के बजट में शामिल की गई है। योजना अंतर्गत कुल 85 लाख रुपये का प्रावधान है। वर्ष 2005–06 में योजना अंतर्गत 1.55 लाख पौधों का रोपण किया गया है। दिसम्बर 2005 की स्थिति में रुपये 33.26 लाख का व्यय किया जा चुका है।

1.4.5.9 वन जीवों को संरक्षण एवं विकास

राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के विकास हेतु राज्य आयोजना अंतर्गत प्रथम योजना है। योजना प्रथम बार वर्ष 2005–06 के बजट में शामिल की गई है जिसके तहत रुपये 50 लाख का बजटीय प्रावधान किया गया है जिसमें दिसम्बर 2005 की स्थिति में रुपये 14.90 लाख का व्यय किया जा चुका है।

1.4.5.10 चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन

राज्य में 2 मिनी जू के रखरखाव एवं विकास की नई योजना। यह योजना वर्ष 2004–05 से प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में इस योजना के अंतर्गत रुपये 60 लाख का बजटीय प्रावधान किया गया है जिसमें से नन्दन वन, रायपुर एवं कानन पेंडारी बिलासपुर के रखरखाव कार्य किया जाता है। दिसम्बर 2005 की स्थिति में रुपये 58.00 लाख का व्यय किया जा चुका है।

1.4.5.11 वृक्षारोपण 2005

वन विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के तहत वर्ष 2005 में 234.08 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

1.4.5.12 जट्रोफा रोपण 2005

वन विभाग द्वारा बायोडीजल के उत्पादन हेतु वर्ष 2005 में 305.86 लाख जेट्रोफा पौधों का रोपण/वितरण किया गया है। यह कार्य मुख्यतः राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त कर सम्पादित किया गया है।

वर्ष 2005 का रोपण लक्ष्य – 300 लाख पौधे
वर्ष 2006 का रोपण लक्ष्य – 800 लाख पौधे
उपलब्धि – 305.86 लाख पौधे

(पौधों की संख्या लाख में)

क्र.	वृत्त का नाम	ब्लॉक रोपण		विभागीय वृक्षारोपण के	अन्य स्थानों पर रोपित पौधे	समितियों के माध्यम से वितरित पौधे
		क्षेत्रफल (हे.)	पौधे			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	बिलासपुर	1952.00	38.65	12.79	1.04	9.26
2	रायपुर	1175.00	28.15	7.12	21.11	10.98
3	कांकेर	374.40	9.36	4.03	4.01	8.23
4	दुर्ग	362.00	9.26	4.67	0.57	4.69
5	सरगुजा	2850.00	69.00	22.39	8.51	11.10
6	जगदलपुर	160.00	3.30	1.61	0.61	15.36
	योग	***6873.40***	***157.78***	***52.61***	***35.85***	***59.62***
	महायोग	***305.86***				

1.4.6 संयुक्त वन प्रबंधन

1.4.6.1 संयुक्त वन प्रबंधन की अधतन स्थिति:–

छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन को प्रदेश में वन प्रबंधन का आधार बनाया गया है। प्रदेश के कुल 19720 ग्रामों में वनक्षेत्रों की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर लगभग 11185 ग्राम स्थित हैं। राज्य शासन के संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी संकल्प अक्टूबर 2001 के अनुसार इन ग्रामों में वनों के घनत्व के आधार पर वन सुरक्षा समिति एवं ग्राम वन समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है ।

वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन–सहयोग प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंध का संकल्प – 2001 तथा यथा संशोधित संकल्प – 2002 जारी किया गया है जिसके अंतर्गत निम्न 2 प्रकार की समितियों के गठन का प्रावधान है :–

(क) सघन वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा के पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में वन सुरक्षा समितियों का गठन किया जाएगा ।

(ख) अनुच्छेद (क) में दर्शाये ग्रामों को छोड़कर बिगड़े वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में ग्राम वन समितियों का गठन किया जाएगा ।

सम्प्रति राज्य में 7249 संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन का कार्य राज्य के कुल वन क्षेत्र 59772.389 वर्ग किमी. में से 36886 वर्ग किमी. क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा रहा है ।

राज्य में गठित कुल समितियों की वृत्तवार संख्या उन्हें आबंटित किया गया वन क्षेत्र हे0 में, दक्षतापूर्वक कार्यरत समितियों का विवरण एवं क्षेत्रफल निम्नानुसार है:–

वृत्त का नाम	गठित कुल समितियों की संख्या				गठित समितियों में दक्षतापूर्वक कार्यरत कुल समितियों की संख्या			
	वन सुरक्षा समिति		ग्राम वन समिति		वन सुरक्षा समिति		ग्राम वन समिति	
	संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)	संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)	संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)	संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)
बिलासपुर	506	375272.836	781	248677.83	185	126072.468	283	122305.535
दुर्ग	441	189593.043	290	88431.733	77	32360.978	109	25890.315
कांकेर	718	356889.8676	219	55300.185	216	130168.329	87	32273.254
जगदलपुर	440	289448.809	328	118639.162	79	47249.606	51	18037.019
रायपुर	597	269717.412	617	129232.849	492	173918.888	534	106507.714
सरगुजा	907	341932.581	1214	370150.704	137	65972.626	169	46668.856
कुल	3629	2609603.151	3620	1079078.975	1186	575742.895	1233	351682.693

1.4.6.2 संयुक्त वन प्रबंधन पर राज्य शासन का संकल्प :

राज्य शासन द्वारा पारित संयुक्त वन प्रबंध के संशोधित संकल्प अक्टूबर 2002 के अनुसार वन सुरक्षा कार्यों के एवज में जिला स्तरीय वन अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर कि निर्दिष्ट समिति द्वारा संयुक्त वन प्रबंध का कार्य संतोषप्रद रुप से किया जा रहा है, समिति को निम्नानुसार लाभ प्राप्त करने का अधिकार बनता है :–

वन सुरक्षा समिति को आबंटित वन क्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुरूप बांस या काष्ठ कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 15 प्रतिशत राशि अथवा 15 प्रतिशत मूल्य तक का वनोत्पाद या 15 प्रतिशत मूल्य की सीमा तक राशि एवं वनोत्पाद समिति को

प्रदाय किया जावेगा। वनोपज प्रदाय की दशा में प्रदाय की जाने वाली वनोपज के विदोहन पर हुए व्यय के तुल्य राशि या वनोपज की मात्रा कम कर दी जायेगी । कूप में वनोत्पाद के मूल्य की गणना गैर वाणिज्यिक दरों के आधार पर होगी ।

ग्राम वन समिति को आबंटित बिगड़े वन क्षेत्र के सुधार हेतु पुर्नवास कार्य किये जाने पर प्राप्त होने वाली वनोपज एवं पुर्नवास किये गये क्षेत्र के मुख्य पातन या वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद के स्थल पर कुल कीमत की 30 प्रतिशत राशि अथवा 30 प्रतिशत मूल्य तक का वनोत्पाद या 30 प्रतिशत मूल्य की सीमा तक राशि एवं वनोत्पाद समिति को प्रदाय किया जावेगा । वनोपज प्रदाय की दशा में प्रदाय की जाने वाली वनोपज के विदोहन पर हुए विदोहन व्यय के तुल्य राशि या वनोपज की मात्रा कम कर दी जायेगी ।

मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार समितियों को यह लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के गठन अर्थात 01.11.2000 से दिया जाना है । वनों की सुरक्षा के एवज में वनों में उत्पादित काष्ठ एवं बांस में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के हिस्से की वनोपज का मूल्य रूपये 7.85 करोड़ का भुगतान समितियों को वित्तीय वर्ष 2004–05 मे किया गया है । इस प्रकार राज्य गठन के पश्चात् राशि 25.38 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

समिति को वन सुरक्षा कार्यों में उत्तरदायी बनाने के लिए संकल्प में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है।

. संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं :–

- वनों के संरक्षण एवं विभागीय कार्यों में समिति के सदस्यों की पूर्ण सहभागिता ।
- समितियों के स्वयं के प्रयास से आय वर्धक कार्यो को सृजन कराना, समिति की आर्थिक दशा सुधारना, आस्था मूलक कार्यों, वन सुरक्षा निधि तथा समिति के प्रयासों से प्राप्त आय का लेखा –जोखा नियमित कराना तथा उसका वार्षिक अंकेक्षण कराना ।
- समिति क्षेत्र में शिक्षित युवक को लेखा कार्य में प्रशिक्षित कराना ।
- समिति के पास संचित निधि के उपयुक्त उपयोग हेतु समिति सदस्यों की सहमति से विभिन्न कार्यक्रम चलाने हेतु प्रेरित करना ।
- समिति क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के आनुपातिक विकास के प्रयत्न निरंतर करना । इस उदेश्य से धमतरी जिले में वनमंडलाधिकारी धमतरी एवं वन विभाग के मार्गदर्शन में इन पिछडे ग्रामों में ग्रामीण विकास एवं अन्य विभागों के बजट से विकास कार्य करने के संबंध में राज्य मंत्री–परिषद द्वारा 14.05. 2002 को निर्णय लिया गया एवं शासनादेश 15.7.2002 द्वारा क्रियान्वयन के आदेश प्रसारित हुए। वनमंडलाधिकारी धमतरी वन से 5 कि.मी. की दूरी तक के ग्रामों के विकास हेतु अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी नियुक्त ।
- संकल्प के अनुसार ग्रामीणों को वनोपज प्रदाय करना।

1.4.6.3 लोक संरक्षित क्षेत्र :

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से प्रदेश के समस्त 32 वनमण्डलों में लोक **संरक्षित क्षेत्रों की** श्रृंखला का विकास किया जा रहा है ।

लोक संरक्षित क्षेत्र की दृष्टि, क्षेत्र एवं उद्देश्य निम्नानुसार है :–

दृष्टि :

लोक संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा, एक ऐसी जन–केन्द्रित व्यवस्था विकसित करने के **उद्देश्य से की** गई है ताकि यह क्षेत्र, गरीब जनता के संसाधन निर्मित होकर, गरीबी उन्मूलन तथा अच्छे **जीवन की [illegible]** बना सके ।

मूल्य :

1. वन वासियों एवं उनके पारपरिक ज्ञान का सर्वोच्च मान सम्मान ।
2. संसाधन सुरक्षा में सहयोग एवं भागीदारी।
3. सभी स्तरों पर क्षमताओं का विकास ।
4. स्थानीय तकनीक का उन्नयन ,एवं अत्याधुनिक सूचना तकनीकी का उपयोग ।

उद्देश्य :–

1. समुदाय के सहयोग से वनों हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना विकसित करना ।
2. प्राकृतिक स्त्रोतो के आंकलन हेतु विशिष्ट विधि विकसित करना ।
3. वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विनाशविहीन दोहन ।
4. अन्तः स्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण एवं विस्तार
5. वन एवं स्वच्छ जल
6. लघु वनोपज का श्रेणीकरण,प्रसंस्करण (साफ करना सुखाना आदि) प्रमाणीकरण एवं **विपणन ।**
7. प्राकृतिक दर्शनीय स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा ।
8. जैव सांस्कृतिक भिन्नता संरक्षण, जैविक भिन्नता पूर्वेक्षण एवं जैव साझेदारी का विकास ।
9. उद्यमिता का विकास ।
10. लोक निजी सहभागिता
11. ग्रामीणों के बचत समूहों में कोष निर्माण।
12. महिलाओं का सशक्तिकरण ।
13. लाभ का समान वितरण व्यवस्था ।
14. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ।
15. खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ।
16. सामाजिक पूंजी का उपयोग ।
17. उपरोक्त तथ्यों की प्राप्ति के लिए सक्षम नीति एवं विधिक संरचना का विकास ।

इस कार्यक्रम को वर्ष 2001 से लागू किया गया है एवं वर्ष 2005 तक 1,47,600 हजार हेक्टर क्षेत्र में लोक संरक्षित क्षेत्रों की अन्त:स्थलीय संवर्धन एवं 208 हे0 क्षेत्र में बाह्य स्थलीय संवर्धन का कार्य किया जा चुका है । इस कार्य में रू. 2853.52 लाख व्यय किये गये हैं । इसके अलावा लोक संरक्षित क्षेत्र में प्रसंस्करण केन्द्रों का निर्माण तथा 39 वन औषधालयों की स्थापना भी इस योजना के अंतर्गत किया गया है । इसके अलावा वनांचल के 3220 रहवासियों एवं वन कर्मियों को अकाष्ठीय वनोपज का विनाश विहीन विदोहन , प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन आदि पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण वन विद्यालय महासमुन्द, जगदलपुर एवं सक्ती में दिया गया है ।

1.4.6.4 लोक निजी सहभागिता :-

जिन ग्राम वन समितियों द्वारा अपने स्तर पर वित्तीय संस्थानों/ बैंकों से नगद या सामग्री के रूप में ऋण प्राप्त कर अथवा राहत कार्य या अन्य रोजगारमूलक कार्यो हेतु प्राप्त राशि में से बिगड़े वनों के सुधार कार्यक्रम के अतर्गत रोपण हेतु पूँजी लगाने की व्यवस्था की जायेगी उन समितियों को आबंटित क्षेत्र के माइक्रोप्लान के अनुसार वृक्षारोपण/बिगड़े वनों के सुधार कार्य करने एवं उनकी सुरक्षा हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बिगड़े वनों के सुधार कार्य/वृक्षारोपण से तैयार वृक्षों की परिपक्वता पर कटाई से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण वनोपज दे दी जायेगी जिसे समिति निवर्तित कर सकेगी एवं निर्वतन से प्राप्त राशि में से रोपण हेतु लगाई गई पूंजी, पूंजी पर ब्याज तथा अन्य कोई देनदारी हो, को घटाने के उपरान्त शेष बची राशि की 50 प्रतिशत राशि ग्राम वन समिति की आमसभा के निर्णय के अनुसार उपयोग की जायेगी तथा 30 प्रतिशत राशि ग्राम वन समिति क्षेत्र में अधोसंरचना विकास हेतु तथा 20 प्रतिशत राशि वन संसाधनों के विकास हेतु ग्राम वन समिति के माइक्रोप्लान के अनुसार उपयोग की जावेगी ।

लोक निजी सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003-04 में तीन वृत्त में 23 समितियों के अंतर्गत 600 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा वर्ष 2004-05 में 5 वृत्त में 65 समितियों के अंतर्गत 911 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया हैं।

1.4.6.5 धमतरी मॉडल :-

धमतरी मॉडल के अन्तार्गत धमतरी जिले में वन सीमा से 5 किमी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों का समग्र विकास, सभी विकास विभागों के संयुक्त सोच से करने हेतु एक अभिनव पहल (योजना) है, जिसमें वन विभाग बगैर किसी विभाग के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए विकास कार्यो से संबंधित हर संभव सुविधा कराने हेतु नोडल एजेन्सी है।

<u>योजना के मुख्य बिन्दु:-</u>

- भारत सरकार से जिला पंचायत के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि को वन से 5कि.मी. की दूरी में स्थित ग्रामों के विकास हेतु उपयोग करने के लिए पंचायत नियमों में बगैर किसी संशोधन के वनमंडलाधिकारी धमतरी को पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी घोषित कर तथा वन विभाग को इन ग्रामों के विकास हेतु नोड़ल एजेंसी घोषित किया गया।
- धमतरी जिले में स्थित कुल 641 ग्रामों में से वन सीमा से 5कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले 401 ग्रामों के विकास हेतु जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर विभागवार वन से 5 कि.मी. की दूरी और उससे अधिक दूरी हेतु बजट पृथक – पृथक दिया जा रहा है ।

- वन से 5 कि.मी. भीतर एवं 5 कि.मी. के बाहर के विकास कार्यों हेतु जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर ग्राम सभा आधारित पृथक – पृथक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदन किया जा रहा है ।
- विभिन्न विकास विभागों द्वारा उपरोक्त कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है किंतु इसका समन्वय वन विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
- निर्माण किये गये विकास कार्यों का सामान्य अनुश्रवण वन विभाग द्वारा किया जा रहा है किन्तु तकनीकी रूप से अनुश्रवण का कार्य संबधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जा रहा है ।
- कलेक्टर धमतरी की अध्यक्षता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी, वनमण्डलाधिकारी धमतरी के सदस्यता में जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।
- विकास खण्ड नगरी एवं मगरलोड के लिए वन क्षेत्रपाल स्तर के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा नियुक्त किया गया ।
- धमतरी मॉडल के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय तथा विकास खण्ड स्तरीय टास्कफोर्स का गठन किया गया है ।

1.4.6.6 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमः–

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वनों के सतत् विकास हेतु विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है । ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है । समन्वय के अभाव में विभिन्न विभागों/ संस्थाओं द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में वांछित सफलता नहीं मिल रही है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वन विकास अभिकरण (Forest Development Authority) का गठन किया जाकर इसके तत्वाधान में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम संचालित है।

राज्य के 32 वनमंडलों में से सभी वनमंडलों में वन विकास अभिकरणों के गठन हो चुके है । 32 वन विकास अभिकरणों के प्रोजेक्ट स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजे गये हैं । इनमें से 31 वन विकास अभिकरणों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा रूपये 72.86 लाख की परियोजनाऐं स्वीकृत की गई है। इसके अलावा 1 वन विकास अभिकरण हेतु परियोजनाओं की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहें है ।

इन परियोजनाओं जिसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का नाम दिया गया है, के अंतर्गत संबंधित वनमंडलों में बिगडे वनों का सुधार , बांस रोपण, वन औषधि रोपण, जलाऊ एवं चारागाह विकास का कार्य किया जा रहा है । महासमुन्द एवं बस्तर वन मंडल में यह प्रोजेक्ट 9 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ था शेष 10 वन मंडलों में यह 10 वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002–03 से 2006–07 पांच वर्ष के लिए तथा 14 वन मंडल में वर्ष 2003–04 से 2006–07 चार वर्ष के लिए स्वीकृत हुये हैं । 10वीं पंचवर्षीय योजना में एफ.डी.ए. के माध्यम से कराये जा रहे वानिकी एवं सामुदायिक कार्यों को " वनों का संवहनीय विकास संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से" नाम दिया गया है । प्रदेश की इन 27 वन मंडलों में कुल 1045 ग्राम वन समितियों/वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से 41814 हे0 में वृक्षारोपण विभिन्न मदों में किया जावेगा । अभी तक भारत सरकार द्वारा इस हेतु 47 करोड़ 87 लाख 83 हजार रूपये विमुक्त किया गया है , जिसमें से माह मार्च 2005 तक 32 करोड़ 77 लाख रुपये व्यय हुआ है एवं जुलाई 2005 तक 25503 हे0 में वृक्षारोपण किया जा चुका है।

1.4.6.7. वन विकास अभिकरण की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति

क्र.	वन विकास अभिकरण का नाम	सवप्र समितियों की संख्या	कुल आर्थिक लक्ष्य (राशि लाख में)	कुल भौतिक लक्ष्य (हे.में)	कुल भौतिक उपलब्धि (हे. में)	कुल विमुक्त राशि (दिस., 2005 तक)	कुल व्यय (राशि लाख में)	कुल प्राप्त मानव दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बस्तर	11	166.17	1200	1,200	137.51	134.62	214612
2	सुकमा	48	163.69	1200	600	106.00	42.63	27638
3	बीजापुर	29	106.18	725	-	51.00	0.00	0
4	महासमुन्द	30	115.28	750	750	102.66	102.51	80000
5	पूर्व रायपुर	30	262.67	1800	1,100	224.00	165.61	68516
6	उदन्ती	30	150.00	800	800	125.00	95.23	65400
7	रायपुर सामान्य	30	253.89	1500	1,250	212.10	157.99	183811
8	धमतरी	87	560.67	3000	1,800	396.63	393.37	386486
9	राजनांदगांव	69	517.26	2500	1,200	261.00	186.16	35551
10	कवर्धा	20	353.12	1970	1,470	225.00	136.26	180626
11	दुर्ग	38	257.10	1900	950	113.00	51.01	24200
12	खैरागढ़	27	227.38	1300	799	95.00	92.01	31260
13	दक्षिण सरगुजा	35	180.54	1050	825	103.00	103.00	106673
14	उत्तर सरगुजा	30	180.54	1050	825	143.00	82.96	86490
15	कोरिया	30	367.29	2000	1,400	243.00	146.97	161940
16	जशपुर	32	223.92	1369	1,069	183.00	113.51	135985
17	पूर्व सरगुजा	30	161.37	900	800	130.00	84.71	99513
18	मनेन्द्रगढ़	30	177.38	1050	710	108.00	34.43	31740
19	दक्षिण कोन्डागाँव	31	306.12	1600	800	246.00	171.11	167090
20	उत्तर कोन्डागाँव	30	199.12	1000	600	160.00	102.00	21956
21	कांकेर	23	204.02	1150	700	152.00	82.94	59434
22	पश्चिम भानुप्रतापपुर	22	157.70	1100	600	127.00	74.83	89870
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	20	100.52	800	-	53.00	0.00	0

क्र.	वन विकास अभिकरण का नाम	वसप्र समितियों की संख्या	कुल आर्थिक लक्ष्य (राशि लाख में)	कुल भौतिक लक्ष्य (हे. में)	कुल भौतिक उपलब्धि (हे. में)	कुल विमुक्त राशि (दिस., 2005 तक)	कुल व्यय (राशि लाख में)	कुल प्राप्त मानव दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	नारायणपुर	23	131.69	1000	300	25.00	0.00	13629
25	मरवाही	57	309.75	1500	775	234.96	153.92	147590
26	कटघोरा	30	284.56	1500	800	206.00	111.26	92800
27	कोरबा	30	284.41	1500	830	132.00	130.00	17686
28	बिलासपुर	25	177.70	1000	750	90.00	89.68	34036
29	रायगढ़	61	311.59	1500	1,000	228.00	122.09	156835
30	धरमजयगढ़	45	274.25	1500	500	140.00	103.70	89455
31	जांजगीर–चांपा	12	121.10	600	300	35.00	16.65	0
	योग	**1045**	**7286.98**	**41814**	**25503**	**4787.86**	**3281.16**	**2810822**

1.4.7 वन संरक्षण

छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा वनों की सुरक्षा के संबंध में सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग की अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण से जुड़े अमले की क्षमता विकास, अग्नि सुरक्षा के साधनों का विकास, स्थानीय ग्रामीणों को वन सुरक्षा के कार्यो से जोड़े जाने जैसे कार्यो को प्राथमिकता दी गयी है । विभाग की नियामक प्रणाली को मजबूत करने के साथ ही साथ ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त करने के भी प्रयास किये गये है ।

राज्य में वन सुरक्षा के लिए अधोसंरचना विकास हेतु भारत सरकार से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं । इस कड़ी में राज्य गठन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2004–2005 में "वनों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2001–02, 2002–03 एवं 2003–04 की अवशेष राशि 4.79 लाख को पुनर्वैध कराया गया । उक्त योजना के स्थान पर वर्ष 2003–04 में एकीकृत वन सुरक्षा योजना के रूप में परिवर्तित हुई है ।

भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2003–04 में एकीकृत वन सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई । इस योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश है । प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण नीचे दर्शाया गया है :–

वित्तीय वर्ष	*योजना का नाम*	*प्रस्तावित राशि (लाख में)*	*स्वीकृत राशि (लाख में)*		*विमुक्त राशि (लाख में)*	*व्यय राशि (लाख में)*
2003–04	एकीकृत वन सुरक्षा	235.50	217.40		100.00	99.00
			केन्द्र 75%	राज्य 25%		
			163.05	54.35		
03–04 की अवशेष राशि 04–05 में पुनर्वैद	–'–				118.40	115.55
2004–05	–'–	800	698		507.50	601.59
			केन्द्र 75%	राज्य 25%		
			523.50	174.50		
04–05 की अवशेष राशि 05–06 में पुनर्वैद्य	–'–				96.41	प्रगति पर है
2005–06	–'–	1600	--		--	--

वनो की सुरक्षा, संचार सुविधाओं के विकास की दृष्टि से निम्न सामग्रियों का क्रय वित्तीय वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में किया गया है ।

अ.क्र.	*सामग्री का नाम*	*मात्रा*	*राशि लाख में*
1	मिनी ट्रक वाटर टेंक सहित	2 नग	14.00
3	फिक्सड सेट एच एफ	9 नग	10.52
4	फिक्सड सेट वी एच एफ	42 नग	12.04
5	मोबाईल सेट	34 नग	14.52
6	हेण्ड सेट	128 नग	19.55
7	टाटा 407	2 नग	6.95
8	जीप/जिप्सी, इत्यादि	12 नग	51.49
	योग		***129.07***

एकीकृत वन सुरक्षा योजनान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली को नोडल अधिकारी द्वारा 16 करोड़ की योजना वर्ष 2005–06 के लिए प्रस्तावित किया गया है ।

1.4.7.1 अवैध वन कटाई एवं अवैध शिकार की रोकथाम हेतु चेकिंग व्यवस्था

वन क्षेत्रों से वनोपज की अवैध निकासी को नियंत्रित करने एवं अन्य वन अपराधों की सेकथाम के लिए राज्य के अंदर कुल 330 एवं अंतर्राज्यीय 35 वनोपज जांच नाके स्थापित किये गये हैं। इन जांच नाकों पर वाहनों की सघन जांच की जाती है तथा वनोपज लदे वाहनों से संबंधित जानकारियों को अभिलेखित भी किया जाता है । बिना परिवहन अनुज्ञा पत्र के वनोपज परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध सुसंगत अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है ।

1.4.7.2 वन भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति

वन भूमि पर अतिक्रमण की दृष्टि से वृत्त एवं वन मंडल स्तर पर उड़नदस्ता का गठन किया गया है तथा राजस्व, पुलिस एवं वन कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर वन भूमि से अतिक्रमण रोकने, अपात्र अतिक्रामकों की बेदखली की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार की जा रही है। सामूहिक रूप से वन भ्रमण करने से अतिक्रमणों में कमी आई है। दिसम्बर 2005 की स्थिति में वन भूमि पर निम्नानुसार अतिक्रमण शेष है :–

वृत्त	अतिक्रमण के कुल प्रकरण	अतिक्रामकों की कुल संख्या	आरक्षित वनक्षेत्र (हेक्टेयर में)	संरक्षित वनक्षेत्र (हेक्टेयर में)	योग अतिक्रमण (हेक्टेयर में)
बिलासपुर	8074	9780	1022.594	6029.48	7052.074
रायपुर	1561	3690	2313.515	600.848	2914.363
दुर्ग	3738	3951	1135.699	3399.579	4535.278
जगदलपुर	6179	11667	7676.265	3870.983	11547.248
कांकेर	5880	9462	11777.945	5350.555	17128.500
सरगुजा	11886	14745	3211.274	10115.547	13326.821
कुल योग–	**37318**	**53295**	**27137.292**	**29366.992**	**56504.284**

1.4.7.3 अवैध कटाई की स्थिति

वनों की सुरक्षा के लिए वनमंडल स्तर पर बीट निरीक्षण रोस्टर बनाये गये है जिसमें सहायक परिक्षेत्राधिकारी से लेकर वनमंडलाधिकारी तक को प्रतिमाह बीट निरीक्षण का लक्ष्य दिया गया है। बीट निरीक्षण में पायी जाने वाली अवैध कटाई एवं अन्य वन अपराध प्रकरणों का संज्ञान वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लेकर त्वरित कार्यवाही की जाती है । वनों की अवैध कटाई एवं निकासी की रोकथाम के लिए चेकिंग बेरियरों पर वाहनों की सघन जांच की जाती है ।

1.4.7.4 दिनांक 30 जून 2004 तक पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों की स्थिति

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 30/06/2004 तक विभाग में पंजीकृत 257226 प्रकरणों में मुआवजे की राशि 12.91 करोड़ को अपलेखन करते हुए इन अपराध प्रकरणों को समाप्त किया जायें ।

1.4.8 भू–सर्वे एवं वन संरक्षण अधिनियम

1.4.8.1 वन भूमि अतिकमण व्यवस्थापन :–

छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31.12.1976 पूर्व के एवं दिनांक 01.01.1977 से दिनांक 06.03.1979 तक पात्र 34107 अतिक्रामकों व्यवस्थापन करने हेतु कुल 97766.381 हे0 क्षेत्र के विरूद्ध 97774.000 हे0 क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण पूर्ण कर लिए गए हैं ।

दिनांक 07.03.1979 से दिनांक 24.10.1980 तक के अतिक्रामकों को जिन्हें भारत सरकार द्वारा अमान्य कर दिया गया था, उनके संबंध में पुनः विचार हेतु छ0ग0 शासन, वन विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र क्र0 191 दिनांक 23.02.2004 के द्वारा भारत सरकार को लेख किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

1.4.8.2 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रकरण :–

- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–
- राज्य निर्माण उपरांत 4 वर्ष की अल्प अवधि में कुल 75 परियोजनाओं जिसमें सिंचाई की 22 खनिज 24, एवं प्रास्पेक्टिव लायसेंस 12 कुल 24+12 =36, विद्युत 13 अन्य 4 की विकास परियोजनाओं की केन्द्र शासन GOI (MoEF) से स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अ.	राज्य निर्माण के पूर्व स्वीकृत विकास परियोजनायें –	152
ब.	राज्य निर्माण के उपरांत माह दिसंबर 2004 तक कुल अंतिम स्वीकृत परियोजनायें	75
		227

- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की भारत सरकार एवं अन्य स्तरों पर कुल 130 प्रकरण लंबित हैं।

क्र.	स्तर	कुल प्रोजेक्ट	खनिज	सिंचाई	विद्युत	अन्य	प्रॉस्पेटिंग लायसेन्स
1.	भारत सरकार	4	–	3	1		
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	6	1	4	1		
3.	छत्तीसगढ़ शासन	4	2	1	1		
4.	नोडल अधिकारी	13	0	1	0	1	11
5.	आवेदक संस्थान (वन मंडल अधिकारी) के माध्यम से	103	16	61	21	5	
	कुल लंबित प्रकरण	130	19	70	24	6	11

1.4.8.3 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन :–

छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 425 वनग्रामों में से 420 वनग्रामों (5 वनग्राम वीरान) को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2002 एवं दिनांक 14.04.2002 को प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कोरिया जिलों का स्थल निरीक्षण का कार्य किया जा चुका है, एवं शेष

जिलो के स्थल निरीक्षण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को लेख किया गया। इस संबंध में दिनांक 30.01.2004 को वन सलाहकार समिति के समक्ष प्रकरण को विचार हेतु रखा गया था। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है।

1.4.8.4 नारंगी वन क्षेत्रों के सर्वेक्षण की अद्यतन स्थिति :–

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र कमांक एफ 5/43/90/10–3/96 दिनांक 14/05/1996 के अनुसार ही छत्तीसगढ़ राज्य में 14 नारंगी क्षेत्र की सर्वेक्षण एवं सीमांकन इकाईयों द्वारा प्रथम चरण में कुल 1195299.98 हे0 नारंगी क्षेत्र का प्रांरभिक सर्वेक्षण कर 850390.78 हे0 नारंगी क्षेत्र वन प्रबंधन के अनुपयुक्त पाया गया एवं 344909.19 हे. क्षेत्र संरक्षित वन बनाने हेतु उपयुक्त पाया गया। आज दिनांक तक कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वे) के द्वारा 3.44 लाख हे. उपयुक्त पाये गये नारंगी क्षेत्र में से 2. 50 लाख हे. नारंगी क्षेत्र की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना प्रस्ताव प्रकाशन हेतु शासन को भेजे गए थे, जो कुछ त्रुटियो के कारण वापिस किये गए एवं समस्त प्रस्ताव जांच पड़ताल उपरांत प्रकाशन हेतु कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा पुनः शासन को 26321.456 हे. क्षेत्र के प्रस्ताव भेजे गए हैं, जो राज्य शासन के विचाराधीन है। शेष प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से प्रेषित किए जा रहे है।

1.4.8.5 राज्य में वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद की अद्यतन स्थितिः–

- वन मंडलों एवं वन वृत्तो के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 1295 ग्रामों मे उक्त सीमा विवाद है जिनमें से विवाद के निराकरण हेतु नक्शे मे संशोधन कर सीमा सुधार का कार्य 1975 प्रकरण में पूर्ण कर, राजस्व विभाग के मूल बन्दोबस्त नक्शे में 1964 प्रकरण मे वन सीमा चढ़ाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इन सुधारे हुए नक्शों के आधार पर 1732 प्रकरण मे सीमांकन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- सीमा विवाद के निराकरण के लिए कुल 2276 कृषि पट्टे रकबा 2468.271 हे. निरस्त किये गये इसी प्रकार उत्खनन के 11 पट्टे = 23.871 हे0 निरस्त किये गये एवं कुल आवासीय 74 पट्टे, 1.648 हे. निरस्त किए गए। वन एवं राजस्व भूमि सीमाविवाद के त्वरित निराकरण हेतु राज्य स्तर पर भी एक समन्वय समिति गठित की गई है।

1.4.9 कार्य आयोजना

- कार्य–आयोजना वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर वनों के प्रबंधन का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अभिलेख होता है एवं इसमें दिये गये प्रावधानों के अनुसार वनों का प्रबंधन किया जाता है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में 59772 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.2 प्रतिशत है।
- कार्य–आयोजना कक्ष का मुख्य कार्य प्रदेश के आरक्षित एवं संरक्षित वनों के प्रबंधन हेतु शासन की नीतियो एवं छत्तीसगढ़राज्य की नई वन नीति के अनुसार तकनीकी आधार पर कार्य–आयोजना तैयार किया जाना सुनिश्चित करना है।

- मानननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गोदावर्मन प्रकरण में दिए गए निर्देशानुसार किसी भी वन क्षेत्र में केन्द्र सरकार के द्वारा अनुमोदित कार्य–आयोजना के प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह की कटाई प्रतिबंधित है।
- राज्य के कटघोरा, कोरबा, मरवाही, दुर्ग, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, बीजापुर, जगदलपुर, कांकेर, उत्तर कोंडागांव, दक्षिण कोंडागांव, धमतरी, महासमुंद, रायपुर, पूर्वी सरगुजा, जशपुर, दक्षिण सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर – चांपा, मनेन्द्रगढ़, कोरिया कुल 22 वनमंडलों की कार्य आयोजना को केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
- प्रदेश में 9 कार्य–आयोजना वन मंडल स्वीकृत है। वर्तमान में पूर्व एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर पूर्व रायपुर एवं उदन्ती वनमंडल की कार्य आयोजनाएं केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु भेजी गई हैं। नारायणपुर वनमंडल की कार्य आयोजना का पुनरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। अंतिम प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को दिनांक 28/02/2006 तक भेजा जावेगा। रायगढ़, धरमजयगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं का द्वितीय प्रारंभिक प्रतिवेदन दिनांक 28/06/2006 तक पूर्ण किया जायेगा। उत्तर सरगुजा वनमंडल के प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन की बैठक दिनांक 24/01/2006 को सम्पन्न हो गई है। निम्नलिखित वनमंडलों की कार्य आयोजनाऐं उनके समक्ष उल्लेखित अवधि तक ड्यू हो रहे है जिस हेतु वनमंडलाधिकारियों की पदस्थिति किया जाना है।

1.	दक्षिण सरगुजा	–	2006–07
2.	मरवाही	–	2007–08
3.	दुर्ग / कांकेर	–	2007–08
4.	राजनांदगांव / खैरागढ़	–	2007–08
5.	रायपुर / महासमुंद	–	2008–09
6.	बीजापुर	–	2008–09

- एक कार्य आयोजना के पुनरीक्षण में औसतन 3 वर्ष का समय एवं लगभग 2200 रूपये प्रतिवर्ग कि.मी. का व्यय आता है।
- वर्तमान में पुनरीक्षित की जा रही कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष है।
- कार्य आयोजना के निर्माण हेतु वर्तमान में उपलब्ध आधुनिकतम तकनीक रिमोट सेंसिंग डाटा ज्योग्राफिकल इनफारमेशन सिस्टम (जी.आई.एस.) का उपयोग कर कार्य आयोजना निर्माण के समय एवं व्यय में कुछ बचत की जा सकेगी।
- राज्य में वानिकी सूचना की आधारभूत जानकारी संधारित करने एवं वन प्रबंधन में तकनीकी सक्षमता बढ़ाने के दृष्टिकोण से वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वन मंडल रायपुर को आधुनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से सशक्त किया गया है।
- वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमंडल रायपुर में डिजिटाईजेशन कक्ष स्थापित किया गया है जिसके अंतर्गत राज्य के 28 वनमंडलों के वन सन्निधि मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कार्य प्रगति पर है। सभी मानचित्रों में वन कक्ष, कूप, वन के प्रकार, स्थल गुणश्रेणी, घनत्व, प्रजाति एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्शाया गया है।

- वन प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली वनमंडल, रायपुर द्वारा बन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून से वर्ष 2003 का वनावरण मानचित्र के द्वारा सभी वनमंडलों के लिए वन कक्षों को दर्शाते हुए वनावरण मानचित्र तैयार कर वनमंडलों का प्रदाय कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बीजापुर एवं उत्तर सरगुजा वनमंडल के लिए नारंगी क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिए 1:50000 स्केल में मानचित्र प्रदाय किया गया है। इसी वन आवरण को आधार मानकर सभी वनमंडलों में वन कक्षवार घनत्व ज्ञात करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001 पर आधारित वन आवरण मानचित्र से तुलना करते हुए वनक्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को भी ज्ञात करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
- भारत सरकार द्वारा कार्य आयोजना कोड में दर्शाये गये निर्देशों के अनुसार नया कार्य आयोजना डी. एस.एस. पुनरीक्षण किया गया है।
- DSS Production के कूप एवं डिपो Module तैयार किया गया एवं देवपुर परिक्षेत्र तथा पिथौरा एवं नगरी डिपो में प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किया जा रहा है।
- वन प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली वनमंडल के द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं वानिकी में इसके प्रयोग पर आधारित प्रशिक्षण भी प्रदाय किया गया है, जिसमें सभी वन वृत्त के कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं मानचित्रकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। नारंगी क्षेत्र में भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग के लिए नारंगी क्षेत्र में कार्यरत उप वनमंडलाधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- वन विभाग की विभिन्न गतिविधियों से योजनाकारों, प्रशासकों, विषय विशेषज्ञों एवं आम जनता को अवगत कराने के लिए एक वेब साईट WWW.cgforest.com प्रारंभ की गयी है।

1.4.10 परियोजना निर्माण एवं अनुसंधान विस्तार

मुख्य वन संरक्षक के अधीन गठित इस शाखा में अनुसंधान परियोजनाओं के निर्माण तथा अनुसंधान संबंधी सभी कार्य है। इस प्रकार यह शाखा राज्य में वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार कार्यक्रम को राज्य के तीनों कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डलों के माध्यम से निर्धारित एवं संचालित करती है।

उद्देश्य :-

- वर्तमान एवं भविष्य के विषयों पर आवश्यकतानुसार अनुसंधान परियोजनाओं का निर्माण ।
- उन्नत तकनीक से उन्नत गुण श्रेणी के बीज तथा पौधे तैयार करना ।
- भूमि एवं जलवायु के अनुसार अनुकूल प्रजातियों का निर्धारण ।
- नर्सरी तकनीक एवं रोपण तकनीक पर अनुसंधान ।
- विभाग द्वारा किये गये रोपण एवं अन्य वानिकी कार्यो का मूल्यांकन अनुश्रवण के आधार पर आवश्यक सुधार एवं भविष्य की रणनीति का चिन्हांकन ।
- वन सुरक्षा , अग्नि प्रकोप , कीट एवं अन्य प्रकोपों पर अनुसंधान ।
- उन्नत तकनीक का प्रचार, प्रसार प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन ।
- बीज उत्पादन क्षेत्रों एवं बीज उद्यान क्षेत्रों से महत्वपूर्ण प्रजातियों के उत्तम गुण श्रेणी के बीज उत्पादन।

- अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्रों में मॉडल नर्सरी में उच्च गुणवत्ता के पौधों का उत्पादन स्थापित ।
- मिस्ट चैम्बर्स एवं पॉली प्रोपेगेट्र्स की स्थापना कर यूकेलिप्टस, खमार, सागौन तथा बांस के क्लोनल पौधों का उत्पादन।
- कृषकों, जनप्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों को नई तकनीक पर प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन।

<u>अनुसंधान एवं विस्तार कार्यः—</u>

प्रदेश में तीन अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल कार्यरत है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में 3 अनुसंधान विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए हैं जहाँ युकेलिप्टस, ऑवला, खम्हार, सागौन, बॉस प्रजातियों के उन्नत किस्मों के पौधे उच्च तकनीक रोपणियों में तैयार किए जा रहे हैं। ये पौधे विभागीय रोपण के अतिरिक्त इच्छुक किसानों को उनके निजी भूमि पर लगाने हेतु उपलब्ध होंगे।

<u>बीज उत्पादक क्षेत्रों तथा बीज उद्यानों में बीज संग्रहणः—</u>

छत्तीसगढ़ राज्य में वनीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार करने हेतु महत्वपूर्ण प्रजातियाँ जैसे—सागौन, खम्हार नीलगिरी एवं ऑवला आदि प्रजातियों के 339 हे0 बीज उत्पादक क्षेत्रों का निर्माण, 195 हे0 में बीजांकुर बीज उद्यान, स्थापित किया गया है। वर्ष 2005—06 में 25 लाख के प्रावधान के विरूद्ध 23 लाख रूपये का आबंटन किया गया है जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 05 की स्थिति में 3.34 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

उच्च गुणवत्ता के बीज संग्रहण के उद्‌देश्य से अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, जगदलपुर में इस वर्ष 33 क्विंटल बीज तथा अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, बिलासपुर में 115 क्विंटन सागौन बीज संग्रहित किया गया एवं अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, रायपुर में 115 क्विंटन सागौन प्रजाति का बीज संग्रहित किया गया है।

<u>रोपणियों में महत्वपूर्ण प्रजातियों के पौधे :—</u>

अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डलों की रोपणियों में महत्वपूर्ण प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इस वर्ष अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डलों, रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में महत्वपूर्ण प्रजातियों के लगभग 50 लाख पौधे तैयार किए गए हैं।

<u>छ0ग0 राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना :—</u>

वनों के विकास एवं उसकी रक्षा के साथ पर्यावरण के अध्ययन की दृष्टि से प्रदेश में वन अनुसंधान विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु एक राज्य स्तरीय छ0ग0 राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना रायपुर में किया जाना है। इस हेतु वन अनुसंधान को बजट में उचित प्राथमिकता देने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2005—06 में संस्थान की स्थापना के लिए रू0 100 लाख बजट प्रावधान किया गया है। छ0ग0 वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु स्थल का चयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा गठित समिति के द्वारा किया गया है एवं चयनित स्थल रायपुर—बलौदाबाजार मार्ग पर विधान सभा भवन के समीप स्थित बरौंडा क्षेत्र है । छ0ग0 राज्य गृह निर्माण मंडल को संस्थान के भवन निर्माण कार्य के लिए एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

भविष्य की योजना :–

- विभाग में अच्छे बीज एवं पौधों से ही रोपण ।
- क्लोनल पौधों का अधिकाधिक उत्पादन तथा किसानों में वितरण ।
- आधुनिक नर्सरियों की प्रत्येक जिले में स्थापना ।
- विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यो के आंकलन एवं उसमें समय–समय पर सुधार हेतु सामाजिक शोध संकाय की स्थापना ।
- वनों पर आश्रित ग्रामिणों के आर्थिक उत्थान हेतु आर्थिक शोध शाखा की स्थापना ।
- वन उत्पादों की सुव्यवस्थित मार्केटिंग हेतु मार्केटिंग शोध संकाय की स्थापना ।
- प्रदेश में वनक्षेत्रों के बाहर वानिकी विस्तार हेतु कृषकों को प्रशिक्षण, विस्तार एवं प्रोत्साहन के माध्यम से उच्च एवं नई तकनीक को पहुचाने हेतु वानिकी अनुसंधान विस्तार एवं प्रशिक्षण संकाय की स्थापना ।

1.4.11 वन्यप्राणी संरक्षण

राज्य में वन्य प्राणियो के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 अभ्यारण्य है, जिनका कुल क्षेत्रफल 6482.271 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 05 प्रतिशत तथा वन क्षेत्रफल का 11 प्रतिशत है। गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (पूर्ववर्ती म.प्र. के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के सरगुजा / कोरिया जिले में आने वाले क्षेत्रो को मिलाकर) एवं भोरमदेव अभ्यारण्य की अधिसूचना नये छतीसगढ़ राज्य द्वारा की गयी है।

राष्ट्रीय उद्यान :–

क्र.	*राष्ट्रीय उद्यान*	*जिले का नाम*	*वन मंडल का नाम*	*वृत्त का नाम*	*क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.*
1	इन्द्रावती	दन्तेवाड़ा	बीजापुर	जगदलपुर	1258.000
2	कांगेर घाटी	बस्तर	बस्तर	जगदलपुर	200.000
3	गुरुघासी दास	सरगुजा/कोरिया	बैकुण्ठपुर	सरगुजा	1440.705
		योग			***2898.705***

अभ्यारण्य :–

क्र.	*राष्ट्रीय उद्यान*	*जिले का नाम*	*वन मंडल का नाम*	*वृत्त का नाम*	*क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.*
1	अचानकमार	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	551.55
2	बादलखोल	जशपुर	जशपुर	सरगुजा	104.45
3	गोमार्डा	रायगढ़	रायगढ़	बिलासपुर	277.82
4	बारनवापारा	महारामुन्द	रायपुर	रायपुर	244.66
5	उदन्ती	रायपुर	रायपुर	रायपुर	247.59
6	सीतानदी	धमतरी	धमतरी	रायपुर	553.36

क्र.	राष्ट्रीय उद्यान	जिले का नाम	वन मंडल का नाम	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
7	तमोरपिंगला	सरगुजा(अम्बिकापुर)	उत्तर सरगुजा	सरगुजा	608.52
8	सेमरसोत	सरगुजा(अम्बिकापुर)	पूर्व सरगुजा	सरगुजा	430.36
9	भैरमगढ़	दंतेवाडा	बीजापुर	जगदलपुर	138.95
10	पामेड़	दंतेवाडा	बीजापुर	जगदलपुर	262.12
11	भोरमदेव	कवर्धा	कवर्धा	दुर्ग	163.80
योग					3583.18

<u>*प्रोजेक्ट टायगर :–*</u>

- इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान केन्द्रीय शासन की प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत वर्ष 1982 से सम्मिलित है।
- अचानकमार, उदन्ती तथा सीतायनदी अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट टायगर योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने के लिए प्रोजेक्ट टायगर की स्टेयरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 23/01/2003 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। प्रोजेक्ट टायगर में सम्मिलित होने के लिए अधिसूचना केन्द्र शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की जानी है।

राज्य में वन्य प्राणियों की प्रमुख प्रजातियों के आंकलन के गत चार वर्षो के आंकडे निम्नानुसार है :–

क्रमांक	वन्य पशु का नाम	वर्ष			
		2002	2003	2004	2005
1	शेर	227	238	239	200
2	तेन्दुआ	1140	1200	1258	1293
3	चीतल	21571	23832	23848	23044
4	सांभर	2680	3079	3123	3305
5	कोटरी	12388	14215	15060	19203
6	नीलगाय	3544	3721	3874	4197
7	गौर	2336	2337	2563	2698
8	जंगली भैंसा	133	129	151	121

संरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न बजट मदों के अंतर्गत गत् तीन वर्षों में आबंटन एवं व्यय :–

राज्य शासन से प्राप्त बंजट एवं व्यय की जानकारी

क्र.	मद संख्या	वर्ष 2002–03		वर्ष 2003–04		वर्ष 2004–05		वर्ष 2005–06	
		प्राप्त राशि लाख में	व्यय राशि लाख में	प्राप्त राशि लाख में	प्राप्त राशि लाख में	व्यय राशि लाख में	व्यय राशि लाख में	प्राप्त राशि लाख में	व्यय राशि लाख में
1	10–2406 वानिकी एवं वन्य जीवन (110) वन्य जीवन 2899 रा.उ.	180.80	193.81	171.50	171.40	244.85	207.47	199.20	139.18
2	10–2406 वानिका एवं वन्य जीवन (110) वन्य जीवन 2900	283.90	283.93	264.03	270.00	365.92	377.70	292.17	285.74
3	10–2406 वन्य जीवो को संरक्षण/ विकास 3943 रा.उ./ अभ्या. का विकास	–	–	–	–	–	–	50.00	11.55
4	10–2406 वानिकी एवं वन्य जीवन – सामान्य योजना (3536) पर्यावरण वानिकी	–	–	–	–	–	–	80.00	–
5	10–2406– आदिवासी क्षेत्र आयोजना (5090) जैव विविधता संरक्षण	–	–	–	–	–	–	10.00	–
	योग–	464.70	477.74	435.53	441.40	610.77	585.17	631.37	436.47

केन्द्र शासन से प्राप्त एवं व्यय की जानकारी

क्र.	मद संख्या	वर्ष 2002–03		वर्ष 2003–04		वर्ष 2004–05		वर्ष 2005–06	
		प्राप्त राशि लाख में	व्यय राशि लाख में	प्राप्त राशि लाख में	प्राप्त राशि लाख में	व्यय राशि लाख में	व्यय राशि लाख में	प्राप्त राशि लाख में	व्यय राशि लाख में
1	10–2406 (701) केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6539 राष्ट्रीय उद्यान /अभ्यारण्यों का विकास	79.75	68.74	308.65	216.406	265.87	259.68	270.42	61.40
2	41–2406(702) केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 3730	32.48	71.61	98.77	91.528	34.99	8.42	67.75	–
	योग–	112.23	140.35	407.42	307.934	300.86	268.10	338.17	61.40

जंगली हाथियो की समस्या :--

वर्ष 2000 से लगातार हाथियों के अलग–अलग विभिन्न समूहों में बंटकर छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर, रायगढ़, धर्मजयगढ़ कोरबा एवं कटघोरा वनमंडलों में विचरण करते आ रहे हैं तथा इनके द्वारा जनहानि/फसल सम्पत्ति हानि भारी मात्रा में हो रही हैं। जिसके कारण राज्य शासन को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रतिवर्ष एक करोड़ रूपये से अधिक भुगतान करना पडता हैं।

वन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को एलीफेंट प्रोजेक्ट में सम्मिलित करने तथा विकास कार्यो हेतु बजट उपलब्ध करने के लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट बनाकर राज्य शासन को प्रेषित करते हुए कार्यायलयीन पत्र क्रमांक 571 दिनांक 05.04.05 के द्वारा 4302.25 लाख का प्रस्ताव आगामी पांच वर्षो के लिए डायरेक्टर (प्रोजेक्ट एलीफेन्ट) भारत शासन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है। प्रोजेक्ट भारत शासन में विचाराधीन है।

जंगली हाथियों एवं अन्य जंगली जानवरों द्वारा राज्य में विगत पांच वर्षो में हुई फसल हानि एवं सम्पत्ति नुकसानी का विवरण निम्नानुसार है :–

क	*वर्ष*	*प्रकरण संख्या*	*क्षतिपूर्ति राशि (रूपयें में)*
1	2001	1059	7,68,609
2	2002	3092	26,86,951
3	2003	3112	30,92,881
4	2004	4727	75,22,037
5	2005	5280	1,12,12,496
योग		***17,270***	***2,52,82,974***

बस्तर पहाड़ी मैना :–

पहाड़ी मैना के बाह्य स्थलीय / अन्तः स्थलीय संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट पांच वर्ष के लिये रूपये 40.70 लाख का प्रस्ताव जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, प्राणी विज्ञान भवन एम.आर.नया अलीपोर, कलकत्ता को भेजा गया हैं, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित हैं।

तपकरा स्नेक पार्क निर्माण :–

वनमंडल जाशपुर के तपकरा क्षेत्र में स्नेक पार्क निर्माण की स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत रूपये 41.13 लाख का बजट प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र कमांक/ 1187 दिनांक 23.08.03 को केन्द्र शासन नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। वन मंडल जशपुर से प्राप्त सर्प ज्ञान केन्द्र की स्थापना बावत् रूपये 45.16 लाख का प्रस्ताव सरगुजा–जशपुर विकास प्राधिकरण से राशि स्वीकृति हेतु मुख्य मंत्री सचिवालय को भेजा गया हैं।

वनभैंसों का संरक्षण :—

राज्य के उदन्ती अभ्यारण्य एवं इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान में वन भैंसों के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में आवश्यक अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु Wild life Trust of India के साथ M.O.U. किया गया है। WTI संस्थान द्वारा माह जून 2005 से प्रारम्भिक सर्वे का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

मगरमच्छ परियोजना :—

वनमंडल जांजगीर चांपा के अंतर्गत कोटमी सोनार तालाब में मगरमच्छ के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पंचवर्षीय प्रोजेक्ट (2006—07 से 2010—11) का प्रस्ताव रू. 236.42 लाख का तैयार कर केन्द्र शासन को दिसम्बर 2005 में राज्य शासन के माध्यम से भेजा गया है।

अचानकमार — अमरकंटक — बायोस्फियर रिज़र्व :—

अचानकमार — अमरकंटक — बायोस्फियर रिज़र्व की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केन्द्र शासन द्वारा 30 मार्च 2005 को की गई है। इसका कुल क्षेत्रफल 3835.51 वर्ग कि.मी. है। इस बायोस्फियर रिजर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जनपद का कुछ भाग तथा मध्य प्रदेश में डिण्डोरी एवं अनूपपुर जनपद का भाग सम्मिलित है। यह देश का चौदहवां बायोस्फियर रिजर्व है। इस जीवमंडल (बायोस्फियर रिजर्व) में छत्तीसगढ़ राज्य का 2610.53 वर्ग कि.मी. सम्मिलित है, जिसमें कोर जोन 551.55 वर्ग कि.मी. है। अचानकमार—अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व के लिए वन संरक्षक कार्य आयोजना बिलासपुर को राज्य शासन द्वारा डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इस बायोस्फियर रिजर्व का रू. 2829.28 लाख का मैनेजमेंट एक्शन प्लान (वर्ष 2005—06 से 2009—2010 तक) तैयार कर दिसम्बर 2005 में केन्द्र शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

1.4.12 उत्पादन

1. **विदोहन :—**

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार पुनरूत्पादन को सुनिश्चित करते हुए कूपों में कटाई की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त की गई, जिसके फलस्वरूप विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार उत्पादन हुआ :—

वर्ष	*बांस*		*काष्ठ घ. मी.*	*जलाऊ चट्टे*
	औद्योगिक (विक्रय इकाई)	*व्यापारिक (नो.टन)*		
2000—01	46715	23431	54851	98588
2001—02	51509	25522	115435	187979
2002—03	54666	27256	156689	250684
2003—04	45561	26834	140678	206985
2004—05	38168	24799	161830	195041

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार पुनरुत्पादन को सुनिश्चित करते हुये कूपों में कटाई की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त की गई, जिसके फलस्वरुप वर्ष 2004–05 में जून 2005 तक वृत्तवार निम्नानुसार उत्पादन हुआ है :–

<u>वर्ष 2004–05</u>

वृत्त	बांस				काष्ठ (घ.मी. में)			
	लक्ष्य		पातन		लक्ष्य		पातन	
	व्यापारिक (नो. टन)	औद्योगिक बांस (विक्रय इकाई)	व्यापारिक (नो. टन)	औद्योगिक बांस (विक्रय इकाई)	इमा.	जलाऊ (चट्टा)	इमा.	जलाऊ (चट्टा)
रायपुर	1640	1430	2313	1176	67249	107238	74872	98510
बिलासपुर	1849	2809	1002	2674	22506	29038	22221	27782
दुर्ग	10425	21948	8354	16019	9890	20631	11899	27747
सरगुजा	0	0	0	0	7633	12162	4145	2503
कांकेर	6270	8684	7186	10458	19512	24597	25934	23083
जगदलपुर	5295	6448	5944	7841	16339	21837	22759	15415
योग	**25479**	**41319**	**24799**	**38168**	**143129**	**215503**	**161830**	**195040**

काष्ठ एवं बांस के निर्वर्तन हेतु 25 काष्ठागार तथा 11 बांसागार प्रदेश के विभिन्न वन मंडलों में स्थापित है। इन आगारों में वर्ष भर काष्ठ बांस के निर्वर्तन हेतु नीलाम आयोजित किये जाते है। औद्योगिक बांस का निर्वर्तन अग्रिम निविदा द्वारा किया जाता है।

विदोहन वर्ष 2005–06 में काष्ठ बांस/ विदोहन लक्ष्य एवं उपलब्धि माह दिसम्बर 2005 की स्थिति में निम्नानुसार है :–

<u>वर्ष 2005–06</u>

वृत्त	बांस				काष्ठ (घ.मी. में)			
	लक्ष्य		पातन		लक्ष्य		पातन	
	व्यापारिक (नो. टन)	औद्योगिक बांस (विक्रय इकाई)	व्यापारिक (नो. टन)	औद्योगिक बांस (विक्रय इकाई)	इमा.	जलाऊ (चट्टा)	इमा.	जलाऊ (चट्टा)
रायपुर	893	782	622	222	23974	47084	12397	21706
बिलासपुर	885	2625	99	236	16603	20385	7921	8463
दुर्ग	8692	16703	653	1221	10573	19746	6131	13768
सरगुजा	-	-	-	0	10267	12139	5300	2119
कांकेर	13158	18964	393	396	22492	29447	9541	10460
जगदलपुर	5565	5887	121	308	11988	9140	8016	3633
योग	**29193**	**44961**	**1888**	**2383**	**95897**	**137941**	**49306**	**60149**

निस्तार व्यवस्था :—

प्रदेश में निस्तार नीति के अंतर्गत वन क्षेत्रों के 5 कि. मी. की परिधि के ग्राम वासियों को निस्तार वर्ष 2005 में माह जून 2005 तक निस्तारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निस्तारियों को निस्तार दर पर तथा अन्य को बाजार दर पर वृत्तवार निम्नानुसार लक्ष्य के विरुद्ध प्रदाय किया गया है :—

वन वृत्त	बांस		बल्ली		ईमारती काष्ठ (घ. मी.)		जलाऊ चट्टे		बसोड़ों को बांस प्रदाय	
	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय
रायपुर	373300	277929	28150	19608	0	461	21771	15802	1699500	675181
बिलासपुर	152000	100730	14205	9922	0	0	2878	1793	366700	408235
दुर्ग	628000	629805	10575	5463	0	0	740	79	2509290	1001162
सरगुजा	91300	14986	37200	3022	96	4	6060	40422	0	0
कांकेर	1707750	1223282	33550	17684	157	0	10515	1480	171500	150752
जगदलपुर	599000	425262	18050	9372	0	0	11770	16012	0	0
योग :—	**3551350**	**2671994**	**141730**	**65071**	**253**	**465**	**53734**	**75588**	**4746990**	**2235330**

बाजार दर पर

वन वृत्त	बांस		बल्ली		ईमारती काष्ठ (घ. मी.)		जलाऊ चट्टे	
	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय
रायपुर	124000	27927	18650	19401	730	3	7470	5397
बिलासपुर	45500	36565	11300	5387	0	0	1888	1963
दुर्ग	64300	43671	27000	4668	0	0	355	83
सरगुजा	0	0	0	0	0	0	0	0
कांकेर	0	64146	0	2476	0	10	0	37654
जगदलपुर	164500	32012	17900	939	0	0	9300	4574
योग :—	**398300**	**204321**	**74850**	**32871**	**730**	**13**	**19013**	**49671**

बसोड़ो को बांस प्रदाय :—

शासन द्वारा बसोड़ो को प्रति वर्ष परिवार 1500 नग बांस तक रॉयल्टी मुक्त प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। पानबरेजा परिवारों को भी प्रति वर्ष 1000 नग बांस तक बिना रॉयल्टी लिये डिपो से प्रदाय करने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2005 तक 5227 पंजीकृत बसोड़ो के लिये 4746990 नग बांस प्रदाय का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से माह जून 2005 तक 2235330 नग बांस प्रदाय किया गया है।

बस्तर विकास प्राधिकरण :–

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 8– 13/2004/10–2 दिनांक 19.11.2004 द्वारा बस्तर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर तथा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिलों में नगर पंचायतों के मुख्यालय में निवास करने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को वन सीमा के पांच किलो मीटर के परिधि में स्थित ग्राम पंचायतों के निवासियों के समान निस्तारी दर पर बांस तथा बल्ली प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2005 में इन्हें निम्नानुसार वनोपज प्रदाय किया गया :–

वन वृत्त	बांस		बल्ली		जलाऊ चट्‌टे	
	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय
कांकेर	0	137140	0	2188	0	0
जगदलपुर	0	85385	0	88	0	464
योग :–	**0**	**222525**	**0**	**2276**	**0**	**464**

भाग – 2

बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)

वर्ष 2005–06 में राजस्व प्राप्ति का कुल संशोधित लक्ष्य रूपये 175 करोड़ के विरूद्ध दिसम्बर 2005 तक रूपये 142.23 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई है।

2.1 आबंटन एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2005–2006 में बजट प्रावधान एवं दिसम्बर 2005 तक व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

मद	बजट प्रावधान	दिसम्बर 2005 तक व्यय
मांग संख्या 10–2406 आयोजनेत्तर	26624.31	16807.15
योग	***26624.31***	***16807.15***
मांग संख्या 10–2406 आयोजना	5783.00	1877.70
मांग संख्या 41– 2406 आयोजना	3276.00	873.22
मांग संख्या 64– 2406 आयोजना	405.00	211.53
योग	***9464.00***	***2962.45***

2.2 आयोजना – बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार) – वित्तीय वर्ष 2005–06

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	माह दिसम्बर 2005 तक व्यय	लक्ष्य
1	2	3	4	5
1	(2723) प्रशासन सुदृढ़ीकरण	59.00	18.70	
2	(6025) वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग	9.00	3.28	
3	(2536) पर्यावरण वानिकी	310.00	83.36	75 km road side plantation (preparation)
4	(2962) बिगड़े वनों का सुधार	1775.00	610.19	43974 ha.
5	(5089) राज्य में वानिकी अनुसंधान	25.00	3.35	
6	(1859) राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना	100.00	0.00	
7	(3044) बोना तथा पौधा लगाना	425.00	165.15	11695 ha.
8	(1902) तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	300.00	98.45	2385 ha.
9	(5503) राजीव गांधी बैम्बू मिशन	150.00	24.28	3000 ha.
10	(7563) अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	1200.00	653.14	2350 ha.
11	(6699) वन विकास उपकर निधि से व्यय	1300.00	541.82	13840 ha.
12	(646) वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	50.00	1.35	
13	(5420) राज्य औषधि वनस्पति मंडल की स्थापना	30.00	15.00	
14	(792) कर्मचारी कल्याण योजना	32.00	16.27	
15	(4342) सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य	720.00	201.46	199 complete 350 part
16	(6516) ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज/ औषधी रोपण	650.00	114.63	23000 ha.
17	(4475) सामाजिक वानिकी	72.00	53.59	
18	(5091) लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	175.00	92.62	
19	(5090) जैव विविधता का संरक्षण	10.00	0.77	
20	(3874) वन ग्रामों का विकास	50.00	13.76	
21	(2534) पौधा प्रदाय योजना	50.00	25.29	12.64 lac plant seedings
22	(2533) हरियाली प्रसार योजना	80.00	26.77	4.97 lac plant seedings

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	माह दिसम्बर 2005 तक व्यय	लक्ष्य
1.	2	3	4	5
23	(1004) नदी तट वृक्षारोपण योजना	85.00	33.26	1.55 lac plant seedings
24	(6540) चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन	60.00	58.00	
25	(3943) वनजीवों को संरक्षण एवं विकास	50.00	14.90	
26	(6539) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	528.00	91.23	
27	(3730) प्रोजेक्ट टाईगर	166.00	0.00	
28	(5538) एकीकृत वन सुरक्षा योजना	800.00	1.83	
29	(5231) लघुवनोपज कार्य हेतु लघुवनोपज संघ को अनुदान	200.00	0.00	
30	(5167) वनोपज संग्रहण हेतु गोदामों का निर्माण	3.00	0.00	
	योग	**9464.00**	**2962.45**	

2.3 बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय (आयोजनेत्तर)

2.3.1 बजट 2005–06 में बजट प्रावधान एवं माह दिसम्बर तक व्यय की जानकारी

2.3.1.1. 10–वन आयोजनेत्तर

(राशि – हजारों में)

बजट मद	बजट प्रावधान / लक्ष्य	दिसम्बर 2005 तक का व्यय
1	2	3
एक – राजस्व अनुभाग		
2406 – वानिकी और वन्य जीवन		
[01] – वानिकी		
(2055) – पुलिस	**3750**	
(2402) – भू और जल संरक्षण	**100**	
{001} – निदेशन और प्रशासन		

बजट मद	बजट प्रावधान / लक्ष्य	दिसम्बर 2005 तक का व्यय
1	2	3
(3555) – मुख्यालय		
योग योजना –(3555)	82560	29168
योग लघु शीर्ष {001}	82560	29168
{003} – शिक्षा और प्रशिक्षण		0
(4462) – वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		0
योग योजना –(4462)	18764	12197
योग लघु शीर्ष {003}	18764	12197
{070} संचार और इमारतें		0
योग लघु शीर्ष {070}	93000	57323
{101}– वन संरक्षण और विकास तथा संपोषण		0
(812) – कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना		0
रु01 – वेतन, भत्ते आदि		0
योग योजना –(812)	39075	25273
(813) – कार्यकारी योजनाएं तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्य		0
योग योजना –(813)	29310	15726
(2786) – प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्त)		0
योग योजना –(2786)	34985	22126
(3836) – उत्पादन वनमंडल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी , खैर एवं बांस		0
योग योजना –(3836)	255370	175661
(3877) – क्षेत्रीय वन मण्डल		0
योग योजना –(3877)	1048510	676961
योग लघु शीर्ष –{101 }	1407250	915748
{102} – सामाजिक और फार्म वानिकी		0
(1093) – खैर		0
योग योजना –(1093)	400	0
(3531) – प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण		0
योग योजना –(3531)	50500	12362
(4475) – सामाजिक वानिकी		0

बजट मद	बजट प्रावधान / लक्ष्य	दिसम्बर 2005 तक का व्यय
1	2	3
योग योजना –(4475)	27995	17396
(3044) – बोना तथा पौधे लगाना		0
योग योजना –(3044)	22500	7819
योग लघु शीर्ष –{102}	101395	37577
{203} – इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार		0
योग लघु शीर्ष – {203}	372000	199962
{204}– बांस का राजकीय व्यापार		0
(2901) – बांस		0
योग योजना –(2901)	145000	58183
(5641) – वन प्रबंध समितियां		0
योग योजना –(5641)	10500	510
योग लघु शीर्ष – {204}	155500	58693
{797} – आरक्षित निधियों को/से हस्तान्तरण तथा जमा लेखें		0
योग लघु शीर्ष – {797}	5000	169
भारित	130000	130000
{800} – अन्य व्यय		0
(252) – अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता		0
योग योजना –(252)	203450	180368
(1411) – हिंसक पशुओं के विनाश के लिए पुरस्कार		0
रु18 – पारितोषिक	50	8
योग योजना –(1411)	50	8
(3873) – वन अपराध का पता लगाने के लिए पुरस्कार		0
योग योजना –(3873)	360	117
(3882) – वन विकास निगम को कमीशन का भुगतान		0
योग योजना –(3882)	20	0
(3896) – वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति		0
योग योजना –(3896)	25000	16935
योग लघु शीर्ष – {800}	228880	197426
[02] – पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन		0

बजट मद	बजट प्रावधान / लक्ष्य	दिसम्बर 2005 तक का व्यय
1	2	3
{110} – वन्य जीवन		0
(2899) – राष्ट्रीय उद्यान		0
योग योजना –(2899)	**23722**	**13903**
(2900) – अभ्यारण क्षेत्र		0
योग योजना –(2900)	40110	28539
योग लघु शीर्ष {110}	63832	42442
योग लेखा शीर्ष – 2406	2528181	1550706
भारित	130000	130000
योग एक –राजस्व अनुभाग	2528181	1550706
भारित	130000	130000
दो – पूंजी अनुभाग		0
6401 – कृषि कार्य के लिए उधार		0
(800) – अन्य व्यय		0
(3875) – वन तकावी		0
(3872) – वन अधिनस्थों को बन्दूकें क्रय करने हेतु अग्रिम		0
योग योजना –(3872)	**200**	9
योग लघु शीर्ष – {800}	**200**	9
योग लेखा शीर्ष – 7610	**200**	9
योग दो – पूंजी अनुभाग	**400**	9
योग मांग संख्या – 10 अधिकृत मतदेय	**2532431**	**1550715**
भारित	**130000**	**130000**
महायोग	**2662431**	**1680715**

भाग – 3

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

3.1 राज्य योजनाएँ

विगत 3 वर्षो की तुलनात्मक उपलब्धि का विवरण

राज्य योजनाएं – भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र.	योजना	2002–03		2003–04		2004–05	
		लक्ष्य (हे.)	प्राप्ति (हे.)	लक्ष्य (हे.)	प्राप्ति (हे.)	लक्ष्य (हे.)	प्राप्ति (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिगड़े वनों का सुधार	44547	44547	38540	37914	32365	32365
2	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	5578	5578	5229	5229	4206	4206
3	बोना तथा पौधा लगाना	10089	10089	30952	30952	18134	18134
4	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	32000	32000	16250	16250	5421	5421
5	वन विकास उपकर निधि से व्यय	7650	7650	21660	21660	31271	31271
6	सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य	210	206	177	177	223	223
	योग	**100074**	**100070**	**112808**	**112182**	**91620**	**91620**

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

विगत 3 वर्षो की तुलनात्मक उपलब्धि का विवरण

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं – बजट प्रावधान एवं व्यय राशि

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना	2002–03		2003–04		2004–05	
		बजट प्रावधान	व्यय राशि	बजट प्रावधान	व्यय राशि	बजट प्रावधान	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(6539) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	182.60	68.75	233.60	275.06	487.00	258.91
2	(5538) एकीकृत वन सुरक्षा योजना	0	0	217.40	94.70	822.79	728.97
3	(3730) प्रोजेक्ट टाईगर	90.00	71.61	99.50	91.52	207.00	8.43
4	क्षेत्र अभिमुख जलाऊ लकड़ी एवं चारा कार्यक्रम	145.00	45.26	44.70	29.36	16.50	15.18
	योग	**417.6**	**185.62**	**595.2**	**490.64**	**1533.29**	**1011.49**

भाग – 4

सामान्य प्रशासनिक विषय (जांच समितियाँ, किये गये अध्ययन आदि अंकित किये जाये)

भारत शासन द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजनांतर्गत वन विकास अभिकरण के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा छत्तीसगढ़ में जन सहयोग से वनीकरण कार्य किया जा रहा है । राज्य के 32 वनमंडलों में से सभी वनमंडलों में वन विकास अभिकरण का गठन हो चुका है । 32 वन विकास अभिकरणों के परियोजना स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजे गये हैं । दंतेवाड़ा वन विकास अभिकरण हेतु परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं । इन परियोजनाओं के अंतर्गत संबंधित वनमंडलों में प्राकृतिक पुनरूत्पादन, कृत्रिम पुनरूत्पादन, मिश्रित रोपण, बांस रोपण, चारागाह विकास एवं वन औषधि रोपण का कार्य **1045** ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति के माध्यम से किया जा रहा है ।

प्रदेश की इन **31** वन विकास अभिकरणों में विभिन्न कार्यो हेतु वर्ष 2001–02 से 2006–07 तक कुल **41814** हे. क्षेत्र में वनीकरण का लक्ष्य है । जिस हेतु **72.86 करोड़** रूपये स्वीकृत है । भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एन.ए.ई.बी. नई दिल्ली द्वारा दिसंबर, 2005 तक कुल **47.87** करोड़ रूपये विमुक्त किया गया है जिसमें से **32.77** करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं । किये गये वृक्षारोपण के अंतर्गत विभिन्न वर्षो (2002–03 से 2005–06) में अभी तक प्राकृतिक पुनरूत्पादन में **20.11** लाख, कृत्रिम पुनरूत्पादन में **65.43** लाख, मिश्रित रोपण में **14.59** लाख, बांस रोपण में **40.97** लाख ,चारागाह विकास में **12.22** लाख एवं औषधीय रोपण में 24.71 लाख पौधे कुल **178.03** लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है । जिसमें **9.37** लाख रतनजोत के पौधे भी सम्मिलित है ।

भारत शासन द्वारा वन विकास अभिकरणों हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न कार्यो में किये गये व्यय के लेखों का अंकेक्षण चार्टेड एकाउन्टेन्ट जो कि सी.ए.जी. के पेनल में सूचीबद्ध हो, के द्वारा किया जाना है । वर्तमान में सभी वन विकास अभिकरणों का वित्तीय वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के लेखों का अंकेक्षण कार्य करा लिया गया है । वित्तीय वर्ष 2004–05 में ड्यू 26 वन विकास अभिकरणों में से 22 वन विकास अभिकरणों का अंकेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष अभिकरणों के लेखों का अंकेक्षण प्रगति पर है ।

भारत शासन द्वारा वन विकास अभिकरणों हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार परियोजना के कार्य आरंभ होने के 12 से 24 महीनों के अंदर वन विकास अभिकरण के अध्यक्ष द्वारा स्वतंत्र संस्था की नियुक्ति कर प्रथम आन्तरिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य कराया जाना है । वर्तमान में कुल स्वीकृत 31 वन विकास अभिकरणों में से 26 अभिकरणों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य कराया जाना है , इस हेतु सभी अध्यक्षों द्वारा स्वतंत्र संस्थाओं की नियुक्ति की जा चुकी है । बिलासपुर, कटघोरा, मरवाही एवं महासमुन्द वन विकास अभिकरण का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है शेष अभिकरणों में मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य प्रगति पर है ।

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एन.ए.ई.बी.) द्वारा पूर्व रायपुर, रायपुर (सा.) एवं बस्तर वन विकास अभिकरण का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन क्रमशः ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोएडा (उ.प्र.) एवं नेचरल रिर्सोसेस इण्डिया फाउन्डेशन , नई दिल्ली द्वारा कराया गया है । मूल्यांकन एवं अनुश्रवण संस्था द्वारा तीनों वन विकास

अभिकरणों की विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है । अभिकरणों के अंतर्गत किये गये विभिन्न कार्यों को निम्नानुसार अंक दिया गया है ।

घटक	पूर्व रायपुर	रायपुर (सा.)	बस्तार
भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धि	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
रखरखाव एवं जीवित प्रतिशतता	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा
संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियां	अच्छा	उत्कृष्ट	अच्छा
एफ.डी.ए. संचालन	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा
कुल	**बहुत अच्छा**	**उत्कृष्ट**	**बहुत अच्छा**

भाग – 5

अभिनव योजना

5.1 हरियाली प्रसार योजना

कृषकों की पड़त भूमि में पौधा रोपण को प्रोत्साहन देने की यह अभिनव योजना वर्ष 2005–06 के बजट में प्रथम बार शामिल की गई। योजना अंतर्गत इच्छुक कृषकों द्वारा उनकी पड़त भूमि में पौधा रोपण हेतु गढ्ढे खोदे जाने पर विभाग द्वारा उन्हें निःशुल्क पौधा प्रदाय कर पौधा रोपण, निंदाई, खाद आदि के लिए पूरी राशि उपलब्ध कराई जाती है। योजना अंतर्गत एक कृषक को न्युनतम 250 तथा अधिकतम 1000 पौधों तक उपरोक्त लाभ दिया जाता है। वर्ष 2005–06 में इस योजना अंतर्गत 80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 1202 हितग्राहियों की पड़त भूमि पर 4.97 लाख पौधों का रोपण किया गया है। दिसम्बर 2005 की स्थिति में रुपये 26.77 लाख का व्यय किया जा चुका है।

5.2 पौधा प्रदाय योजना

वनेत्तर क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन हेतु यह नई योजना वर्ष 2005–06 के बजट में प्रथम बार शामिल की गई है। योजना अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक रुपये प्रति पौधे की रियायती दर पर उसकी आवश्यकता अनुसार अधिकतम 1000 पौधे प्रदाय करने का प्रावधान है। वर्ष 2005–06 में इस योजना अंतर्गत कुल 50 लाख रुपये का प्रावधान है जिसके तहत 12.64 लाख पौधों का वितरण किया गया है। दिसम्बर 2005 की स्थिति में रुपये 25.29 लाख का व्यय किया जा चुका है।

5.3 नदी तट वृक्षारोपण

नदियों के तटों का कटाव रोकने तथा नदियों का बहाव बनाये रखने के लिए यह दूरदर्शी महत्वाकांक्षी योजना प्रथम बार वर्ष 2005–06 के बजट में शामिल की गई है। योजना अंतर्गत कुल 85 लाख रुपये का प्रावधान है। वर्ष 2005–06 में योजना अंतर्गत 1.55 लाख पौधों का रोपण किया गया है। दिसम्बर 2005 की स्थिति में रुपये 33.26 लाख का व्यय किया जा चुका है।

5.4 वन जीवों को संरक्षण एवं विकास

राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के विकास हेतु राज्य आयोजना अंतर्गत प्रथम योजना है। योजना प्रथम बार वर्ष 2005–06 के बजट में शामिल की गई है जिसके तहत रुपये 50 लाख का बजटीय प्रावधान किया गया है जिसमें दिसम्बर 2005 की स्थिति में रुपये 14.90 लाख का व्यय किया जा चुका है।

5.5 चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन

राज्य में 2 मिनी जू के रखरखाव एवं विकास की नई योजना। यह योजना वर्ष 2004–05 से प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में इस योजना के अंतर्गत रुपये 60 लाख का बजटीय प्रावधान किया गया है जिसमें से नन्दन वन, रायपुर एवं कानन पेंडारी बिलासपुर के रखरखाव कार्य किया जाता है। दिसम्बर 2005 की स्थिति में रुपये 58.00 लाख का व्यय किया जा चुका है।

5.6 जट्रोफा रोपण 2005

वन विभाग द्वारा बायोडीजल के उत्पादन हेतु वर्ष 2005 में 305.86 लाख जेट्रोफा पौधों का रोपण/वितरण किया गया है। यह कार्य मुख्यतः राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त कर सम्पादित किया गया है।

वर्ष 2005 का रोपण लक्ष्य – 300 लाख पौधे

वर्ष 2006 का रोपण लक्ष्य – 800 लाख पौधे

उपलब्धि – 305.86 लाख पौधे

(पौधों की संख्या लाख में)

क्र.	वृत्त का नाम	ब्लॉक रोपण		विभागीय वृक्षारोपण के	अन्य स्थानों पर रोपित पौधे	समितियों के माध्यम से वितरित पौधे
		क्षेत्रफल (हे.)	पौधे			
1	2	3	4	5	6	7
1	बिलासपुर	1952.00	38.65	12.79	1.04	9.26
2	रायपुर	1175.00	28.15	7.12	21.11	10.98
3	कांकेर	374.40	9.36	4.03	4.01	8.23
4	दुर्ग	362.00	9.26	4.67	0.57	4.69
5	सरगुजा	2850.00	69.00	22.39	8.51	11.10
6	जगदलपुर	160.00	3.30	1.61	0.61	15.36
	योग	***6873.40***	***157.78***	***52.61***	***35.85***	***59.62***
	महायोग	***305.86***				

भाग – 6

(विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाए)

1. प्रतिवर्ष विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन।
2. समस्त क्षेत्रीय वनमंडलों से प्रतिवर्ष निस्तार पत्रिकाओं का प्रकाशन।
3. लघु वनोपज संघ द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किये जाने वाले पुस्तिकाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

   3.1 वार्षिक आमसभा हेतु तैयार की गई पुस्तिका।

   3.2 हर्बल छत्तीसगढ़

   3.3 Chhattisgarh The Herbal State of India

भाग – 7

सारांश

1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के अन्तर्गत निम्नानुसार विभागाध्यक्ष कार्यरत है।

   (i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक

   (ii) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम

   (iii) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ

   (iv) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में कुल स्वीकृत पद 11023 के विरूद्ध 9062 पद भरे हुए है तथा 1961 पद रिक्त है।
3. लघु वनोपज संघ द्वारा मुख्य रूप से विनिर्दिष्ट वनोपज जैस तेन्दूपत्ता, सालबीज, हर्रा, गोंद (कुल्लु, खैर, बबुल, धावड़ा) के संग्रहण एवं विपणन का कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है।

4. विगत 20–25 वर्षो से अनुपचारित रहे प्राकृतिक वन क्षेत्रों में व्याप्त वन सम्पदा के उचित प्रबंधन एवं सुधार हेतु ऐसे क्षेत्रो में से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्रों में सागौन / बांस के रोपण को उचित माना जाकर यह कार्य छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के माध्यम से कराया जा रहा है।

5. औषधि पादपो के संरक्षण, संवर्धन, विनाशविहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं निर्माण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड की स्थापना की गई है।

6. ***वन विभाग के दायित्व :–*** वन विभाग छत्तीसगढ़, "राज्य की वन संपदा एवं जैव विविधता को" वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के बहुआयामी उपयोग हेतु संरक्षण एवं संवर्धन के लिये कृत संकल्पित है। संक्षेप में विभाग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :–

- राज्य की समृद्ध जैव–सांस्कृतिक विविधता एवं विरासतों का संरक्षण।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना।
- संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से राज्य के वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं समेकित विकास करना।
- वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु संरक्षित क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास।
- वनों से कार्य आयोजना के अनुसार इमारती काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बाँस का उत्पादन एवं निर्वर्तन ।
- अकाष्ठीय वन उत्पादों का संग्रहण, भंडारण, मूल्य संवर्धन एवं निर्वर्तन कर संग्राहकों को अधिकाधिक लाभ दिलाना।
- वनों पर आश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की उपलब्धतानुसार निस्तार पूर्ति।
- गैर वानिकी क्षेत्रों में वानिकी का विस्तार।
- वनाश्रित समुदायों के आर्थिक उत्थान के कार्य करना

7. ***सामान्य परिदृष्य :–*** छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,224 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1 प्रतिशत हैं। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59772 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2 प्रतिशत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य के वन – एक दृष्टि मे

वन वर्गीकरण	*वन क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)*	*प्रतिशत*
अ. वैधानिक स्थिति		
आरक्षित	25782.17	43.13
संरक्षित	24036.10	40.22
अवर्गीकृत	9954.13	16.65
योग	**59772.40**	**100.00**
ब. वनों के प्रकार		
साल	24244.88	40.56
सागौन	5633.13	9.42
मिश्रित	26018.38	43.52
कार्य अयोग्य	3876.01	6.50
योग	**59772.40**	**100.00**
स. वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र *		
राष्ट्रीय उद्यान – 3 वन्यप्राणी अभ्यारण्य– 11	6615.295	11.06

8. वन विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के तहत वर्ष 2005 में 234.08 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

9. वर्ष 2005 में वन विभाग द्वारा बायो डीजल के उत्पादन हेतु 300 लाख पौधे का रोपण किया गया है।

10. प्रदेश के कुल 19270 ग्रामों में वनक्षेत्रों की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर लगभग 11185 ग्राम स्थित है।

11. राज्य में गठित कुल 7249 संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन का कार्य राज्य के कुल वन क्षेत्र 59772.389 वर्ग कि.मी. में से 36886 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

12. वनों की सुरक्षा के एवज में उत्पादित काष्ठ एवं बांस में संयुक्त वन प्रबंध समितियों के हिस्से की वनोपज का मूल्य 7.85 करोड़ का भुगतान समितियों को वित्तीय वर्ष 2004–05 में किया गया है। इन समितियों के सहयोग से प्रदेश के 32 वनमंडलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों के श्रृंखला का विकास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2001 से 2005 तक 1,47,600 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लोक संरक्षित क्षेत्रों की अंतःस्थलीय सवंर्धन एवं 208 हेक्टेयर क्षेत्र में बाह्य स्थलीय संवर्धन का कार्य किया गया है तथा इस कार्य में 2853.52 लाख रूपये व्यय किये गये।

13. धमतरी मॉडल के अन्तर्गत धमतरी जिले में वन सीमा से 5 किमी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों का समग्र विकास, सभी विकास विभागों के संयुक्त सोच से करने हेतु एक अभिनव पहल (योजना) है, जिसमें वन विभाग बगैर किसी विभाग के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए विकास कार्यो से संबंधित हर संभव सुविधा कराने हेतु नोडल एजेन्सी है।

14. राज्य के 32 वनमंडलों में से सभी वनमंडलों में वन विकास अभिकरणों के गठन हो चुके है । 32 वन विकास अभिकरणों के प्रोजेक्ट स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजे गये हैं । इनमें से 31 वन विकास अभिकरणों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा रूपये 72.86 लाख की परियोजनाऐं स्वीकृत की गई है । इसके अलावा 1 वन विकास अभिकरणों हेतु परियोजनाओं की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहें है। प्रदेश की इन 27 वन मंडलों में कुल 1045 ग्राम वन समितियों/वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से 41814 हे0 में वृक्षारोपण विभिन्न मदों में किया जावेगा । अभी तक भारत सरकार द्वारा इस हेतु 47 करोड़ 87 लाख 83 हजार रूपये विमुक्त किया गया है , जिसमें से माह मार्च 2005 तक 32 करोड़ 77 लाख रुपये व्यय हुआ है एवं जुलाई 2005 तक 25503 हे0 में वृक्षारोपण किया जा चुका है।

15. वन क्षेत्रों से वनोपज की अवैध निकासी को नियंत्रित करने एवं अन्य वन अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य के अंदर कुल 330 एवं अंतर्राज्यीय 35 वनोपज जांच नाके स्थापित किये गये हैं।

16. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 30/06/2004 तक विभाग में पंजीकृत 257226 प्रकरणों में मुआवजे की राशि 12.91 करोड़ को अपलेखन करते हुए इन अपराध प्रकरणों को समाप्त किया जायें ।

17. छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31.12.1976 पूर्व के एवं दिनांक 01.01.1977 से दिनांक 06.03.1979 तक पात्र 34107 अतिक्रामकों व्यवस्थापन करने हेतु कुल 97766.381 हे0 क्षेत्र के विरूद्ध 97774.000 हे0 क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण पूर्ण कर लिए गए हैं। दिनांक 07.03.1979 से दिनांक 24.10.1980 तक के अतिक्रामकों को जिन्हें भारत सरकार द्वारा अमान्य कर दिया गया था, उनके संबंध में पुनः विचार हेतु छ0ग0 शासन, वन विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र क्र0 191 दिनांक 23.02.2004 के द्वारा भारत सरकार को लेख किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की भारत सरकार एवं अन्य स्तरों पर कुल 130 प्रकरण लंबित हैं ।

क्र.	स्तर	कुल प्रोजेक्ट	खनिज	सिंचाई	विद्युत	अन्य	प्रॉस्पेटिंग लायसेन्स
1.	भारत सरकार	4	--	3	1		
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	6	1	4	1		
3.	छत्तीसगढ़ शासन	4	2	1	1		
4.	नोडल अधिकारी	13	0	1	0	1	11
5.	आवेदक संस्थान (वन मंडल अधिकारी) के माध्यम से	103	16	61	21	5	
	कुल लंबित प्रकरण	130	19	70	24	6	11

18. **राज्य में वन्य प्राणियो के संरक्षण** एवं संवर्धन के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 अभ्यारण्य है, जिनका **कुल क्षेत्रफल 6482.271** वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 05 प्रतिशत तथा वन **क्षेत्रफल का** 11 प्रतिशत है। गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (पूर्ववर्ती म.प्र. के संजय गांधी राष्ट्रीय **उद्यान के सरगुजा** / कोरिया जिले में आने वाले क्षेत्रो को मिलाकर) एवं भोरमदेव अभ्यारण्य की अधिसूचना नये छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा की गयी है।

राष्ट्रीय उद्यान :—

क्र.	राष्ट्रीय उद्यान	जिले का नाम	वन मंडल का नाम	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
1	इन्द्रावती	दन्तेवाड़ा	बीजापुर	जगदलपुर	1258.000
2	कांगेर घाटी	बस्तर	बस्तर	जगदलपुर	200.000
3	गुरूघासी दास	सरगुजा/कोरिया	बैकुण्ठपुर	सरगुजा	1440.705
		योग			*2898.705*

अभ्यारण्य :—

क्र.	राष्ट्रीय उद्यान	जिले का नाम	वन मंडल का नाम	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
1	अचानकमार	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	551.55
2	बादलखोल	जशपुर	जशपुर	सरगुजा	104.45
3	गोमार्डा	रायगढ़	रायगढ़	बिलासपुर	277.82
4	बारनवापारा	महासमुन्द	रायपुर	रायपुर	244.66
5	उदन्ती	रायपुर	रायपुर	रायपुर	247.59
6	सीतानदी	धमतरी	धमतरी	रायपुर	553.36
7	तमोरपिंगला	सरगुजा(अम्बिकापुर)	उत्तर सरगुजा	सरगुजा	608.52
8	सेमरसोत	सरगुजा(अम्बिकापुर)	पूर्व सरगुजा	सरगुजा	430.36
9	भैरमगढ़	दंतेवाडा	बीजापुर	जगदलपुर	138.95
10	पामेड़	दंतेवाडा	बीजापुर	जगदलपुर	262.12
11	भोरमदेव	कवर्धा	कवर्धा	दुर्ग	163.80
		योग			*3583.18*

प्रोजेक्ट टायगर :—

- इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान केन्द्रीय शासन की प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत वर्ष 1982 से सम्मिलित है।
- अचानकमार, उदन्ती तथा सीतानदी अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट टायगर योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने के लिए प्रोजेक्ट टायगर की स्टेयरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 23/01/2003 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। प्रोजेक्ट टायगर में सम्मिलित होने के लिए अधिसूचना केन्द्र शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की जानी है।

राज्य में वन्य प्राणियों की प्रमुख प्रजातियों के आंकलन के गत चार वर्षों के आंकड़े निम्नानुसार है :–

क्रमांक	*वन्य पशु का नाम*	*वर्ष*			
		2002	***2003***	***2004***	***2005***
1	शेर	227	238	239	200
2	तेन्दुआ	1140	1200	1258	1293
3	चीतल	21571	23832	23848	23044
4	सांभर	2680	3079	3123	3305
5	कोटरी	12388	14215	15060	19203
6	नीलगाय	3544	3721	3874	4197
7	गौर	2336	2337	2563	2698
8	जंगली भैंसा	133	129	151	121

19. जंगली हाथियों एवं अन्य जंगली जानवरों द्वारा राज्य में विगत पांच वर्षो में हुई फसल हानि एवं सम्पत्ति नुकसानी का विवरण निम्नानुसार है :–

क	*वर्ष*	*प्रकरण संख्या*	*क्षतिपूर्ति राशि (रूपयें में)*
1	2001	1059	7,68,609
2	2002	3092	26,86,951
3	2003	3112	30,92,881
4	2004	4727	75,22,037
5	2005	5280	1,12,12,496
	योग	***17,270***	***2,52,82,974***

20. पहाड़ी मैना के बाह्य स्थलीय / अन्तः स्थलीय संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट पांच वर्ष के लिये रूपये 40.70 लाख का प्रस्ताव जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, प्राणी विज्ञान भवन एम.आर.नया अलीपोर, कलकत्ता को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित हैं।

21. अचानकगार–अमरकंटक–बायोस्फियर रिज़र्व की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केन्द्र शासन द्वारा 30 मार्च 2005 को की गई है। इसका कुल क्षेत्रफल 3835.51 वर्ग कि.मी. है। इस बायोस्फियर रिजर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जनपद का कुछ भाग तथा मध्य प्रदेश में डिण्डोरी एवं अनूपपुर जनपद का भाग सम्मिलित है। यह देश का चौदहवां बायोस्फियर रिजर्व है।

22. छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार पुनरूत्पादन को सुनिश्चित करते हुए कूपों में कटाई की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त की गई, जिसके फलस्वरूप विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार उत्पादन हुआ :–

वर्ष	बांस		काष्ठ घ. मी.	जलाऊ चट्टे
	औद्योगिक (विक्रय इकाई)	व्यापारिक (नो.टन)		
2000–01	46715	23431	54851	98588
2001–02	51509	25522	115435	187979
2002–03	54666	27256	156689	250684
2003–04	45561	26834	140678	206985
2004–05	38168	24799	161830	195041

23. प्रदेश में निस्तार नीति के अंतर्गत वन क्षेत्रों के 5 कि. मी. की परिधि के ग्राम वासियों को निस्तार वर्ष 2005 में माह जून 2005 तक निस्तारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निस्तारियों को निस्तार दर पर तथा अन्य को व्यापार दर पर वृत्तवार निम्नानुसार लक्ष्य के विरुद्ध प्रदाय किया गया है :–

वन वृत्त	बांस		बल्ली		ईमारती काष्ठ (घ. मी.)		जलाऊ चट्टे		बसोड़ों को बांस प्रदाय	
	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय
रायपुर	373300	277929	28150	19608	0	461	21771	15802	1699500	675181
बिलासपुर	152000	100730	14205	9922	0	0	2878	1793	366700	408235
दुर्ग	628000	629805	10575	5463	0	0	740	79	2509290	1001162
सरगुजा	91300	14986	37200	3022	96	4	6060	40422	0	0
कांकेर	1707750	1223282	33550	17684	157	0	10515	1480	171500	150752
जगदलपुर	599000	425262	18050	9372	0	0	11770	16012	0	0
योग :–	**3551350**	**2671994**	**141730**	**65071**	**253**	**465**	**53734**	**75588**	**4746990**	**2235330**

24. शासन द्वारा बसोड़ो को प्रति वर्ष परिवार 1500 नग बांस तक रॉयल्टी मुक्त प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। पानबरेजा परिवारों को भी प्रति वर्ष 1000 नग बांस तक बिना रॉयल्टी लिये डिपो से प्रदाय करने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2005 तक 5227 पंजीकृत बसोड़ो के लिये 4746990 नग बांस प्रदाय का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से माह जून 2005 तक 2235330 नग बांस प्रदाय किया गया है।

25. वर्ष 2005–06 में राजस्व प्राप्ति का कुल संशोधित लक्ष्य रूपये 175 करोड़ के विरूद्ध दिसम्बर 2005 तक रूपये 142.23 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई है।

वित्तीय वर्ष 2005–2006 में बजट प्रावधान एवं दिसम्बर 2005 तक व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

मद	बजट प्रावधान	दिसम्बर 2005 तक व्यय
मांग संख्या 10–2406 आयोजनेत्तर	26624.31	16807.15
योग	***26624.31***	***16807.15***
मांग संख्या 10–2406 आयोजना	5783.00	1877.70
मांग संख्या 41– 2406 आयोजना	3276.00	873.22
मांग संख्या 64– 2406 आयोजना	405.00	211.53
योग	***9464.00***	***2962.45***

26. <u>राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ</u>

(अ) राज्य योजनाएँ

विगत 3 वर्षो की तुलनात्मक उपलब्धि का विवरण

राज्य योजनाएं – भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र.	योजना	2002–03		2003–04		2004–05	
		लक्ष्य (हे.)	प्राप्ति (हे.)	लक्ष्य (हे.)	प्राप्ति (हे.)	लक्ष्य (हे.)	प्राप्ति (हे.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	बिगड़े वनों का सुधार	44547	44547	38540	37914	32365	32365
2	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	5578	5578	5229	5229	4206	4206
3	बोना तथा पौधा लगाना	10089	10089	30952	30952	18134	18134
4	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	32000	32000	16250	16250	5421	5421
5	वन विकास उपकर निधि से व्यय	7650	7650	21660	21660	31271	31271
6	सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य	210	206	177	177	223	223
	योग	**100074**	**100070**	**112808**	**112182**	**91620**	**91620**

(ब) केन्द्र प्रवर्तित

विगत 3 वर्षों की तुलनात्मक उपलब्धि का विवरण

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं – बजट प्रावधान एवं व्यय राशि

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना	2002–03		2003–04		2004–05	
		बजट प्रावधान	व्यय राशि	बजट प्रावधान	व्यय राशि	बजट प्रावधान	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(6539) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	182.60	68.75	233.60	275.06	487.00	258.91
2	(5538) एकीकृत वन सुरक्षा योजना	0	0	217.40	94.70	822.79	728.97
3	(3730) प्रोजेक्ट टाईगर	90.00	71.61	99.50	91.52	207.00	8.43
4	क्षेत्र अभिमुख जलाऊ लकड़ी एवं चारा कार्यक्रम	145.00	45.26	44.70	29.36	16.50	15.18
	योग	**417.6**	**185.62**	**595,2**	**490.64**	**1533.29**	**1011.49**